

अध्याय-2
राज्य के वित्त

अध्याय-2

राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह अध्याय पंच-वर्षीय अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य के वित्त लेखों के आधार पर राज्य की ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे के लेन-देन, की समग्र प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है।

2.1 2020-21 के सापेक्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में हुए मुख्य परिवर्तन

तालिका-2.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में गत वर्ष की तुलना में हुए मुख्य परिवर्तन के संबंध में एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन सभी संकेतकों को अनुवर्ती प्रस्तरों में विश्लेषित किया गया है।

तालिका-2.1: 2020-21 के सापेक्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियों में 12.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य की स्वयं कर प्राप्तियों में 18.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ स्वयं की करेत्तर प्राप्तियों में 33.92 प्रतिशत की कमी हुई। ➤ केंद्रीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश में 50.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 4.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
राजस्व व्यय में 4.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सहायता अनुदान पर व्यय में 20.29 प्रतिशत की कमी हुई।
पूँजीगत व्यय में 15.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 43.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 16.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 8.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 813.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 26.09 प्रतिशत की कमी हुई।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियों में 23.64 प्रतिशत की कमी हुई। ➤ लोक ऋणों का पुनर्भुगतान 15.92 प्रतिशत बढ़ा।
लोक लेखे	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियों में 10.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ➤ लोक लेखा संवितरण में 12.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग


तालिका-2.2 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के घटकों की तुलना वर्ष 2020-21 के आँकड़ों से करती है जबकि **चार्ट-2.1** एवं **2.2** वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिशतता के रूप में “प्राप्ति कहाँ से आयी” तथा “कहाँ व्यय हुआ” का विवरण प्रदान करते हैं।

तालिका-2.2: 2020-21 और 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ शेष	1,922.35	3,575.97	86.02
	राजस्व प्राप्तियाँ	38,204.36	43,056.99	12.70
	विविध पूँजीगत प्राप्ति	0.20	0.00	-100.00
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	23.05	17.08	-25.90
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	6,865.10	4,087.85	-40.45
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	452.41	-314.67	-169.55
	आकस्मिकता निधि (निवल)	-224.71	223.88	-199.63
	योग	47,242.76	50,647.10	7.21
उपयोग	राजस्व व्यय	37,091.03	38,928.95	4.96
	पूँजीगत व्यय	6,538.21	7,533.50	15.22
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	37.55	347.46	825.33
	आर बी आई के साथ अंतिम रोकड़ शेष	3,575.97	3837.19	7.30
	योग	47,242.76	50,647.10	7.21

स्रोत: वित्त लेखे।



स्रोत: वित्त लेखे।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश एवं भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान समाहित हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/व्यावसायिक बैंकों से ऋण) और भा स से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों ही राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।

3. **निवल लोक लेखे प्राप्तियाँ:** कुछ लेन-देन, जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमाओं, उचंत, प्रेषणों, आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ और संवितरण शामिल हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के पश्चात शेष धनराशि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना चार्ट-2.3 में दी गई है।

चार्ट-2.3: वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में प्राप्तियों की संरचना



2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि

तालिका-2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2017-22 के दौरान, स रा घ उ (जी एस डी पी) से संबन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व की उत्प्लावकता प्रदान करती है। आगे, स रा घ उ (जी एस डी पी) के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट-2.4 एवं 2.5 में दी गई है।

तालिका-2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ


मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्र) (₹ करोड़ में)	27,105	31,216	30,723	38,205	43,057
बजट अनुमान (ब अ) (₹ करोड़ में)	31,594	35,660	38,955	42,439	44,151
रा प्र की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.90	15.17	(-) 1.58	24.35	12.70
स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	10,165	12,188	11,513	11,938	14,176
करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	1,770	3,310	3,999	4,171	2,756
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 2.52	29.85	0.09	3.85	5.11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,20,222	2,30,327	2,36,988*	2,34,660*	2,53,832*
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.86	4.59	2.89	-0.98	8.17
रा प्र/ब अ (प्रतिशत)	85.79	87.54	78.87	90.02	97.52
रा प्र/स रा घ उ (प्रतिशत)	12.31	13.55	12.96	16.28	16.96
उत्प्लावकता अनुपात ¹					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.69	3.31	NA	NA	1.55
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	NA	6.50	0.03	NA	0.63

स्रोत: वित्त लेखे, स रा घ उ (जी एस डी पी) के आँकड़े www.des.uk.gov.in (उत्तराखण्ड सांख्यिकी विभाग) से प्राप्त किये गये हैं।


◆अनंतिम अनुमान, ◆संशोधित अनुमान और ♥अग्रिम अनुमान

¹ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की लोच अथवा जवाबदेही के स्तर को इंगित करता है।

चार्ट-2.4: स रा घ उ (जी एस डी पी) की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



चार्ट-2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्तियाँ



- राजस्व प्राप्तियों में 11.91 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ, 2017-18 में ₹ 27,105 करोड़ से 2021-22 में ₹ 43,057 करोड़ तक 58.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान गत वर्ष की तुलना राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,852 करोड़ (12.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वृद्धि संघ के करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश (₹ 3,337 करोड़), स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,238 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 692 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। यह वृद्धि आंशिक तौर पर राज्य के करेत्तर राजस्व में कमी (₹ 1,415 करोड़) से प्रतिसंतुलित हुई। हालाँकि, बजट अनुमान की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2017-18 में 85.79 प्रतिशत से 2021-22 में 97.52 प्रतिशत बढ़ गईं। यह विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान उल्लेखनीय रूप से 7.5 प्रतिशत बढ़ गईं।

- 2021-22 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 39.32 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त हुआ जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान ने मिल कर 60.68 प्रतिशत का योगदान दिया। इस प्रकार, उत्तराखण्ड की राजकोषीय स्थिति काफी हद तक केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर है।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 12.70 प्रतिशत (₹ 4,852 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरी ओर राजस्व व्यय में केवल 4.96 प्रतिशत (₹ 1,838 करोड़) की वृद्धि हुई। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई।
- 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, स रा घ उ के सापेक्ष राज्य की राजस्व उत्पलावकता में व्यापक उतार-चढ़ाव था।

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन


केन्द्रीय करों में राज्यांश वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, सहायता अनुदान में राज्यांश, एकत्र किए गए केंद्रीय करों की मात्रा एवं योजनाओं के लिए प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता आदि पर निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन उसके स्वयं के संसाधनों जिनमें स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व सम्मिलित हैं, के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

2017-22 के दौरान, कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संबंध में सकल संग्रहण एवं इनके सापेक्ष राज्य के स रा घ उ में अंश **परिशिष्ट-2.1** में प्रदर्शित है।

2.3.3.1 स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जी एस टी, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, निबंधन शुल्क एवं पंजीकरण फीस, भू-राजस्व तथा माल एवं यात्रियों पर कर इत्यादि शामिल हैं। राज्य की पंच-वर्षीय अवधि 2017-22 के स्वयं के कर राजस्व के आँकड़े नीचे **चार्ट-2.6** में दिये गये हैं।

चार्ट-2.6: 2017-22 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि



वर्ष 2017-22 के दौरान संग्रहित किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण तालिका-2.4 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.4: 2017-22 के दौरान घटक-वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	प्रवृत्तियाँ
विक्रय, व्यापार इत्यादि पर कर	3,703	1,883	1,811	1,858	2,302	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	1,972	4,802	4,931	5,053	5,973	
राज्य आबकारी	2,262	2,871	2,727	2,966	3,258	
वाहनों पर कर	816	909	908	741	889	
निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क	882	1,015	1,072	1,107	1,488	
भू-राजस्व	24	34	24	17	40	
अन्य कर	506	674	40	196	226	
योग	10,165	12,188	11,513	11,938	14,176	
राज्य के स्वयं के कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	85.17	78.64	74.22	74.11	83.72	
कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता	37.50	39.04	37.47	31.25	32.92	


स्रोत: वित्त लेख।

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में, 6.02 प्रतिशत वार्षिक औसत दर के साथ, 2017-18 में ₹ 10,165 करोड़ से 2021-22 में ₹ 14,176 करोड़ तक ₹ 4,011 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, कर राजस्व में मुख्य अंशदाता वस्तु एवं सेवा कर (42.13 प्रतिशत), राज्य आबकारी (22.98 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (16.24 प्रतिशत) और निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (10.50 प्रतिशत) थे। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्वयं के कर राजस्व में ₹ 2,238 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 920 करोड़), और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 444 करोड़), निबंधन एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 381 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 292 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 148 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि, स्वयं के कर राजस्व की कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता में पिछले पाँच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान 37.50 प्रतिशत से 32.92 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)

2005 में मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू होने के 12 वर्ष पश्चात, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) लागू किया। उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम, 2017 राज्य विधानसभा द्वारा मई 2017 में पारित हुआ और 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ।

चार्ट-2.7: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एस जी एस टी के अंतर्गत तुलनात्मक प्राप्तियाँ



वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी) के अंतर्गत राजस्व का वास्तविक संग्रहण तालिका-2.5 में दिया गया है।

तालिका-2.5: अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए जी एस टी से पूर्व एवं एस जी एस टी से संग्रहण, आई जी एस टी का अनंतिम विभाजन और राज्य के अनुमानित राजस्व के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त आई जी एस टी की क्षतिपूर्ति

(₹ करोड़ में)

माह	मासिक राजस्व जो संरक्षित किया जाना है	जी एस टी पूर्व कर संग्रहण	एस जी एस टी संग्रहण	आई जी एस टी का अग्रिम विभाजन	कुल प्राप्त धनराशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	वृद्धि (+)/ कमी (-)	टिप्पणी
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7={1-(5+6)}	
अप्रैल 2021	907.478	7.59	382.36	160.69	550.64	0.00	356.838	संरक्षित राजस्व तुलना में क्षतिपूर्ति के घटक को ध्यान में रखते हुए राज्य को कम राजस्व प्राप्त हुआ है।
मई 2021	907.478	1.98	215.42	88.14	305.54	0.00	601.938	
जून 2021	907.478	2.66	186.62	136.92	326.20	260.32	320.958	
जुलाई 2021	907.478	4.98	331.70	208.61	545.29	0.00	362.188	
अगस्त 2021	907.478	8.45	294.47	286.23	589.15	0.00	318.328	
सितम्बर 2021	907.478	10.19	262.44	150.36	422.99	349.37	135.118	
अक्टूबर 2021	907.478	-3.57	333.61	143.34	473.38	0.00	434.098	
नवम्बर 2021	907.478	3.35	323.66	190.04	517.05	270.27	120.158	
दिसम्बर 2021	907.478	11.13	286.15	116.75	414.03	0.00	493.448	
जनवरी 2022	907.478	17.66	344.34	395.84	757.84	288.45	-138.812	
फरवरी 2022	907.478	2.81	321.41	204.61	528.83	0.00	378.648	
मार्च 2022	907.478	3.69	310.60	299.04	613.33	306.61	-12.462	
योग	10,889.736	70.92	3,592.78	2,380.57	6,044.27	1,475.02	3,370.446	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े।

*स्तम्भ 6 में जीएसटी क्षतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबन्धित है जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त हुई।

जी एस टी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्य के राजस्व में हुई किसी भी कमी को केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 10,889.74 करोड़ के संरक्षित राजस्व के सापेक्ष जी एस टी के अंतर्गत कुल राजस्व संग्रहण क्षतिपूर्ति सहित ₹ 3,370.45 करोड़ कम था। हालाँकि, एस जी एस टी के अंतर्गत गत वर्ष (₹ 5,053 करोड़) की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण (₹ 5,973 करोड़) में ₹ 920 करोड़ की वृद्धि हुई थी। वर्ष के दौरान जी एस टी मुआवजे के एवज में

बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹ 3,333 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इस ऋण का ऋण शोधन जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से किया जाएगा और इस प्रकार राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा।

2.3.3.3 राजस्व के बकाए एवं निर्धारण के बकाए का विश्लेषण

राजस्व का बकाया रहना सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली का सूचक है। इसी प्रकार, निर्धारण का बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब से निर्धारण के कारण अवरुद्ध रहता है। दोनों ही, राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

राजस्व का बकाया

31 मार्च 2022 को वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर एवं राज्य आबकारी के अंतर्गत ₹ 11,618.45 करोड़ राजस्व का बकाया था, जिसमें से ₹ 4,609.17 करोड़ (39.67 प्रतिशत) विगत पाँच वर्षों से अधिक से लंबित था, जैसा कि तालिका-2.6 में नीचे दिखाया गया है।

तालिका-2.6: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष ²	तक बकाया कुल धनराशि (₹ करोड़ में)		पाँच वर्षों से अधिक से लंबित धनराशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022
वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर	11,821.59	11,457.98	3,968.17	4,495.01
राज्य आबकारी	NA	160.47	NA	114.16
योग	11,821.59	11,618.45	3,968.17	4,609.17

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

31 मार्च 2022 को वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर के संदर्भ में कुल बकाया राशि (₹ 11,457.98 करोड़) गत वर्ष (₹ 11,821.59 करोड़) की अपेक्षा ₹ 363.61 करोड़ कम थी जबकि पाँच वर्षों से अधिक से राजस्व बकाया गत वर्ष ₹ 3,968.17 करोड़ से बढ़कर (13.28 प्रतिशत) चालू वर्ष में ₹ 4,495.01 करोड़ हो गया। दोनों विभागों के संदर्भ में पाँच वर्षों से अधिक से लंबित राशि राज्य के वर्ष 2021-22 के कर राजस्व (₹ 14,176 करोड़) का 32.51 प्रतिशत थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव वित्त द्वारा कहा गया कि मंत्रिमण्डल के समक्ष एकबारगी निपटान हेतु एक प्रस्ताव रखा जा रहा है और अद्यतन स्थिति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा।

² राज्य कर विभाग एवं राज्य आबकारी विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर। निबंधन एवं पंजीकरण विभाग द्वारा ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई (फरवरी 2022)।

निर्धारण में बकाया

राज्य कर विभाग द्वारा सूचित, वर्ष के प्रारम्भ में लंबित प्रकरण, निर्धारण हेतु लम्बित होने वाले प्रकरण, वर्ष के दौरान निपटाए गए प्रकरण और वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिये जाने हेतु लंबित प्रकरणों से संबन्धित पूर्ण विवरण तालिका-2.7 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.7: निर्धारण हेतु बकाया

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (मामलों की संख्या)	2021-22 के दौरान निर्धारण के लिए लम्बित नये मामले	कुल बकाया निर्धारण	2021-22 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता
वाणिज्यिक कर/मूल्य वर्धित कर	68,846	11,825	80,671	79,781	890	98.90
वाणिज्यिक कर वस्तु एवं सेवा कर	0	4,175	4,175	3,564	611	85.36

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर चोरी, वापसी आदि के प्रकरण

कराधान विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए मामलों, अंतिम रूप दिये गए प्रकरणों और अतिरिक्त करों की माँग किए गए प्रकरण राज्य सरकार की राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों के महत्वपूर्ण सूचक हैं। कर वापसी के प्रकरणों का त्वरित निपटान, विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वापसी प्रकरणों का अधिक मात्रा में लंबित रहना लाल फीताशाही, निहित स्वार्थ, और रिश्वत खोरी के प्रचलन आदि का सूचक है। राज्य कर विभाग द्वारा कर चोरी के पता लगाए गए प्रकरणों का विवरण तालिका-2.8 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.8: कर चोरी का पता लगना

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 पर लंबित मामले	2021-22 के दौरान पता चले मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माना आदि के साथ अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2022 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	माँग की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	
मूल्य वर्धित कर	0	0	0	0	0	0
वस्तु एवं सेवा कर	0	765	765	511	138.09	254

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

कर वापसी के प्रकरण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वापसी के प्रकरणों का विवरण तालिका-2.9 में नीचे दिया है।

तालिका-2.9: 31 मार्च 2022 पर कर वापसी के प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	जी एस टी		वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया के प्रकरण	65	40.78	953	2.14
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1247	411.62	1532	115.08
3.	वर्ष के दौरान की गई कर वापसी	1164	419.19	1485	109.97
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकार कर वापसी	132	18.90	0	0
5.	वर्ष के अंत में अदत्त शेष	16	14.31	1000	7.25

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान जी एस टी के अंतर्गत 1,247 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 419.19 करोड़ कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 1,164 प्रकरणों का निपटारा किया गया जबकि, वाणिज्यिक कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत 1,532 प्रकरण प्राप्त हुए और ₹ 109.97 करोड़ का कर वापसी के रूप में भुगतान करने के पश्चात 1,485 प्रकरणों का निपटारा किया गया।

2.3.3.4 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज की प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान करेत्तर राजस्व संग्रहण का घटक-वार विवरण तालिका-2.10 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.10: 2017-18 से 2021-22 के दौरान घटक-वार करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	प्रवृत्तियाँ
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	439.81	480.86	396.75	506.41	575.01	
वानिकी एवं वन्य जीव	312.20	368.73	410.16	512.27	511.55	
ब्याज प्राप्तियाँ	85.39	55.70	47.81	98.52	403.55	
शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति	108.85	81.48	198.83	259.59	268.57	
शहरी विकास	1.38	1.22	35.57	15.08	190.98	
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	84.14	99.57	183.84	168.75	177.85	
विध्युत	286.21	186.67	0.30	70.35	111.23	
पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए योगदान एवं वसूली	47.97	1,714.70	2,492.90	2,109.78	61.57	
लाभांश एवं लाभ	22.69	18.69	14.08	41.02	35.05	
अन्य	380.89	302.26	218.57	388.80	420.60	
योग	1,769.53	3,309.88	3,998.81	4,170.57	2,755.96	
राज्य के स्वयं से राजस्व में गैर कर राजस्व की प्रतिशतता	14.83	21.36	25.78	25.89	16.28	
कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व की प्रतिशतता	6.53	10.60	13.02	10.92	6.40	


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख।

पाँच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान, करेत्तर राजस्व, राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का छः प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक रहा।

2.3.4 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण मुख्य रूप से (i) संघ करों और शुल्कों की निवल आय में अंश और (ii) सहायता अनुदान से गठित होता है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्र प्रायोजित योजना और केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजना के लिए अनुदान अब राज्य बजट के माध्यम से दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय अन्तरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर हैं। विगत 10 वर्षों में केन्द्रीय अन्तरण की प्रवृत्ति नीचे दिए गए चार्ट-2.8 में दी गई है।

चार्ट-2.8: विगत दस वर्षों में केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति



2.3.4.1 केन्द्रीय कर अंतरण

चौदहवें वि आ ने अनुशंसा की थी कि वर्ष 2015-16 से केन्द्रीय करों में राज्यांशों में 42 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाए। फलस्वरूप, केन्द्रीय करों से निवल आय में (सेवा कर के अतिरिक्त) उत्तराखण्ड का अंश 1.052 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। हालांकि, वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (XV वि आ) द्वारा अंश को बढ़ाकर क्रमशः 1.104 प्रतिशत और 1.118 प्रतिशत कर दिया गया था। वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक हस्तांतरण को तालिका-2.11 में नीचे दिया है।

तालिका-2.11: केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यांश: वास्तविक हस्तांतरण के सापेक्ष वित्त आयोग के अनुमान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग प्रतिवेदन में प्रक्षेपण	वास्तविक कर हस्तांतरण	अन्तर
1.	2.	3.	4.	5.= (4-3)
2012-13	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की	3,160.00	3,272.88	112.88
2013-14	निवल आय का 1.120 प्रतिशत और सेवा कर की निवल	3,727.00	3,573.38	(-) 153.62
2014-15	आय का 1.138 प्रतिशत (तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार)	4,396.00	3,792.30	(-) 603.70
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की	6,112.00	5,333.19	(-) 778.81
2016-17	निवल आय का 1.052 प्रतिशत और साझा करने योग्य	7,053.00	6,411.55	(-) 641.45
2017-18	सेवा कर की निवल आय का 1.068 प्रतिशत	8,150.00	7,084.91	(-) 1,065.09
2018-19	(चौदहवें वि आ की अनुसंशा के अनुसार)	9,429.00	8,011.59	(-) 1,417.41
2019-20		10,921.00	6,901.54	(-) 4,019.46
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.104 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशाओं के अनुसार)	9,441.00	6,568.72	(-) 2,872.28
2021-22	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 1.118 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुसंशाओं के अनुसार)	7,363.05 ³	9906.25	2543.20

स्रोत: चौ वि आ एवं वित्त लेखे।

राज्य को वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान केन्द्रीय कर के अन्तरण का विवरण तालिका-2.12 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.12: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
निगम कर	2,169.91	2,786.13	2,353.14	1,981.20	2,985.75
सीमा शुल्क	715.1	567.89	437.46	349.64	676.32
आय कर	1,832.34	2,051.86	1,843.85	2,031.05	2,938.64
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	00	4.14	4.37	4.69	9.47
सेवा कर	804.25	73.45	00	28.21	127.78
संपदा कर	-0.07	1.02	0.1	00	0.62
संघ उत्पाद शुल्क	747.5	377.39	304.15	220.89	337.81
आय एवं व्यय पर अन्य कर	00	14.51	00	00	0.02
सी जी एस टी	100.52	1,977.40	1,958.47	1953.04	2,829.84
आई जी एस टी	715.36	157.8	00	00	00
कुल केन्द्रीय करों का अंतरण	7,084.91	8,011.59	6,901.54	6,568.72	9,906.25
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता	10.50	13.08	-13.86	-4.82	50.81
केंद्रीय कर अंतरण की राजस्व प्राप्ति से प्रतिशतता	26.14	25.67	22.46	17.19	23.01

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

³ राज्य को कर हस्तांतरण ₹ 658591*1.118% = ₹ 7,363.05

पाँच वर्ष की अवधि (2017-18 से 2021-22) के दौरान, केन्द्रीय करों के अंतरण में 2017-18 में ₹ 7,085 करोड़ से वर्ष 2021-22 में ₹ 9,906 करोड़ तक 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूर्व वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान, इसमें ₹ 3338 करोड़ (50.81 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 1,005 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 327 करोड़), आय कर (₹ 908 करोड़), सेवा कर (₹ 100 करोड़), संघ उत्पाद शुल्क (₹ 117 करोड़) तथा सीजीएसटी (₹ 877 करोड़) अधिक प्राप्त होने के कारण हुई है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय करों का अंतरण राजस्व प्राप्तियों का 23.01 प्रतिशत था। आगे, जैसा कि तालिका-2.11 में वर्णित है, राज्य ने वर्ष 2013-14 से 2020-21 की अवधि के दौरान वित्त आयोगों (XIII, XIV एवं XV) की अनुशंसा के अनुसार केंद्रीय करों एवं शुल्कों का अपना अंश प्राप्त नहीं किया है। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान, केंद्रीय करों में अंश, पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान से ₹ 2,543.20 करोड़ अधिक था।

2.3.4.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (जी आई ए) तालिका-2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.13: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आयोजनेत्तर अनुदान	714	*	*	*	*
राज्य योजनाओं के लिए अनुदान	1,621	*	*	*	*
केंद्रीय योजनाओं के लिए अनुदान	76	*	*	*	*
केंद्र प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	4,391	*	*	*	*
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	-	4,966	4,477	6,166	5,219
वित्त आयोग अनुदान	-	485	975	6,865	9,424
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,283	2,256	2,857	2,496	1,576
कुल	8,085	7,707	8,309	15,527	16,219
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	30	(-) 5	8	87	4
राजस्व प्राप्त से जी आई ए की प्रतिशतता	30	25	27	41	38

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों।

*आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर अनुदान का नामकरण वर्ष 2018-19 से समाप्त करने के बाद से कोई आँकड़े नहीं हैं और इन्हें सी एस एस के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और राज्यों को अन्य अनुदान द्वारा परिवर्तित किया गया।

गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 692 करोड़ (4.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 37.67 प्रतिशत था। 2021-22 के दौरान, राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹ 9,424 करोड़) प्रदान किया गया जिसमें राजस्व

घाटा अनुदान (₹ 7,772 करोड़), स्थानीय निकायों के लिए अनुदान (₹ 565 करोड़), राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस डी आर एफ) (₹ 750 करोड़) और राज्य आपदा निवारण कोष (₹ 187 करोड़) शामिल हैं। यह वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 58.10 प्रतिशत था। राज्य को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दिया गया अनुदान (₹ 5,219 करोड़) वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 32.18 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान, राज्य द्वारा प्राप्त अन्य अनुदान जी एस टी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति (₹ 1,475 करोड़) थी।

2.3.4.3 पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान

जैसाकि पूर्व प्रस्तर में इंगित किया गया है XV वि आ अनुदान राज्यों को स्थानीय निकाय तथा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु प्रदान किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य को प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका-2.14 में दिया गया है।

तालिका-2.14: XV वि आ की अनुसंशा के अनुसार भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया गया अनुदान
(₹ करोड़ में)

अंतरण	XV वि आ की अनुसंशा	वर्ष के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त
	2021-22	2021-22
1. स्थानीय निकाय	634.00	565.00
(अ) पी आर आई को अनुदान	425.00	418.70
(ब) यू एल बी को अनुदान	209.00	146.30
2. राजस्व घाटा अनुदान	7,772.00	7,772.00
3. आपदा मोचन निधि (केंद्रान्श)	937.00	937.00
4. पोषण के लिए अनुदान	70.00	00
5. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	150.12	150.10
महायोग	9,563.12	9,424.10

स्रोत: वित्त विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य को पी आर आई और यू एल बी दोनों में पंद्रहवें वि आ की अनुसंशा से कम अंश प्राप्त हुआ। हालाँकि, राज्य सरकार को राजस्व घाटा अनुदान, आपदा मोचन निधि और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु वित्त आयोग की अनुसंशा अनुसार पूर्ण अंश प्राप्त हुआ। तथापि, राज्य को वर्ष के दौरान पोषण के लिए पंद्रहवें वि आ द्वारा अनुसंसित ₹ 70 करोड़ की धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

2.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे कि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से कर्ज की प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/व्यापारिक बैंकों से उधारियाँ) एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। तालिका-2.15 में निवल पूँजीगत प्राप्तियाँ की वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियाँ को दर्शाया गया है।

तालिका-2.15: निवल पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य पूँजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूँजीगत प्राप्तियाँ	7,560	7,302	6,167	9,810	7,490
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	00	00	00	0.20	0
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	34	27	19	23	17
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,805	5,218	4,017	7,178	4,088
आंतरिक ऋण	5,731	5,157	3,994	4,178	458
वृद्धि दर	8.91	(-) 10.02	(-) 22.55	4.61	(-) 89.04
भा स से ऋण एवं अग्रिम (निवल)	74	61	23	3,000	3,630
वृद्धि दर	(-) 33.33	(-) 17.57	(-) 62.30	12,943.48	21
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	15.77	(-) 3.34	(-) 15.49	59.19	(-) 23.64
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 2.86	(-) 20.59	(-) 29.63	22.11	(-) 26.72
स रा घ उ की वृद्धि दर	12.86	4.59	2.89	(-) 0.98	8.17
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.67	(-) 3.41	(-) 15.54	59.08	(-) 23.65
कुल प्राप्तियों से पूँ प्रा की प्रतिशतता	21.81	18.96	16.72	20.43	14.82

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

पूँजीगत प्राप्तियों में 2017-18 में ₹ 7,560 करोड़ से 2021-22 में ₹ 7,490 करोड़ तक ₹ 70 करोड़ (एक प्रतिशत) की कमी हुई। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,320 करोड़ (23.65 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से आंतरिक ऋण में कमी (₹ 3,720 करोड़) के कारण हुई जो कि भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि (₹ 630 करोड़) से प्रतिसंतुलित हुई। 2021-22 के दौरान भारत सरकार के ऋण में वृद्धि जी एस टी मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 1,017 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण में वृद्धि के कारण हुई थी। इस ऋण का ऋण शोधन जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रहण से किया जाएगा और इसलिए, राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा।

लोक ऋणों की प्राप्तियां भविष्य के पुनर्भुगतान दायित्वों की संरचना करती हैं और ये बाजार, वित्तीय संस्थाओं एवं भारत सरकार से प्राप्त किए जाते हैं। पंच-वर्षीय अवधि 2017-22 के दौरान, लिए गए लोक ऋणों की प्राप्तियों (₹ 38,209 करोड़) में से 31.15 प्रतिशत का उपयोग लोक ऋणों के पुनर्भुगतान (₹ 11,903 करोड़) में किया गया तथा शेष 68.85 प्रतिशत का उपयोग अन्य उद्देश्यों पर किया गया।

2.5 संसाधनों को जुटाने में राज्य का निष्पादन

संसाधन जुटाने में राज्य के निष्पादन का आकलन उसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत सम्मिलित हैं, के संदर्भ में किया जाता है। 2021-22 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के संबंध में पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान, बजट अनुमान एवं मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक को तालिका-2.16 में दिया गया है।

तालिका-2.16: राज्य के स्वयं के संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के स्वयं के संसाधन	पं वि आ के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक से प्रतिशतता भिन्नता		
					पं वि आ के अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	12,520	12,754	14,122	14,176	13.23	11.15	0.38
करेत्तर राजस्व	3,611	3,294	2,631	2,756	-23.68	-16.33	4.75

स्रोत: पं वि आ की रिपोर्ट, बजट प्रलेख एवं वित्त लेख।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व पं वि आ के अनुमान, बजट आकलन एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष क्रमशः ₹ 1,656 करोड़, ₹ 1,422 करोड़ एवं ₹ 54 करोड़ अधिक रहा।

वर्ष 2021-22 के दौरान करेत्तर राजस्व (एम टी आर) पं वि आ अनुमानों और ब आ की तुलना में क्रमशः ₹ 855 करोड़ और ₹ 538 करोड़ कम था। तथापि, यह एम टी एफ पी एस के आंकलन के सापेक्ष ₹ 125 करोड़ अधिक था। इस प्रकार स्वयं के कर राजस्व में राज्य, एम टी एफ पी एस में अनुमानित अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था।

2.6 संसाधनों का उपयोग

राजकोषीय दायित्व विधायन ढाँचे के अंतर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का दायित्व प्रदान किया जाता है, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य का सतत् राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत अवसररचना और सामाजिक क्षेत्र की विकास की दिशा में उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो।

पूँजीगत व्यय: वह सभी व्यय जो किसी परियोजना के प्रथम निर्माण पर और साथ ही साथ कार्य, जिसे सेवा के लिए खोला न गया हो, के मध्यवर्ती रख-रखाव पर होने वाले व्यय और वह व्यय भी जो कार्य के परिवर्धन एवं सुधार के लिए हों तथा जिन्हें नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता हो पूँजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

राजस्व व्यय: वह सभी व्यय जो रख-रखाव, मरम्मत, संधारण एवं कार्यदायी व्यय जो परिसम्पत्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक हों और दूसरे सभी व्यय जो किसी संगठन को दैनिक रूप से कार्य करने में आवश्यक हों जिनमें स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय सम्मिलित हैं राजस्व व्यय में वर्गीकृत होते हैं।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल व्यय, इसकी संरचना और स रा घ उ में इसका अंश तालिका-2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.17: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु व्य)	35,074	38,563	38,399	43,667	46,810
राजस्व व्यय (रा व्य)	29,083	32,196	32,859	37,091	38,929
पूँजीगत व्यय (पूँ व्य)	5,914	6,184	5,414	6,538	7,534
ऋण एवं अग्रिम	77	183	126	38	347
स रा घ उ से प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/स रा घ उ	15.93	16.74	16.20	18.61	18.44
राजस्व व्यय/स रा घ उ	13.21	13.98	13.87	15.81	15.33
पूँजीगत व्यय/स रा घ उ	2.69	2.68	2.28	2.79	2.97
ऋण एवं अग्रिम/स रा घ उ	0.03	0.08	0.05	0.02	0.14

स्रोत: वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2017-18 में ₹ 35,074 करोड़ से 33.46 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 46,810 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा यह 7.20 प्रतिशत बढ़ा। स रा घ उ की प्रतिशतता के रूप में, कुल व्यय 2017-18 से 2019-20 के दौरान 15.93 प्रतिशत से 16.74 प्रतिशत के बीच रहा, लेकिन वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय (12.88 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय (20.76 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण यह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 18.61 प्रतिशत हो गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान यह पिछले वर्ष से कुछ कम होकर 18.44 प्रतिशत रहा।


चार्ट-2.9 कुल व्यय में घटकों के अंश की प्रवृत्ति को दर्शाता है जबकि चार्ट-2.10 वर्ष 2021-22 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण की संरचनाओं को दर्शाता है।

चार्ट-2.9: कुल व्यय: इनके घटकों में अंश की प्रवृत्तियाँ (प्रतिशत में)



चार्ट-2.10: वर्ष 2021-22 के दौरान समेकित निधि से कुल संवितरण की संरचना

(प्रतिशत में)



गतिविधियों के अनुसार, ब्याज के भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा अन्य पर हुए व्यय से कुल व्यय बना है। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल व्यय ₹ 46,810 करोड़ (परिशिष्ट-2.1 से संदर्भित) में इन घटकों का संबन्धित अंश तालिका-2.18 में दर्शाया गया है।


तालिका-2.18: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का संबन्धित अंश

(प्रतिशत में)

(प्रतिशत में) मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएँ	37.67	36.25	37.00	35.68	35.79
सामाजिक सेवाएँ	34.26	34.51	36.99	38.24	38.10
आर्थिक सेवाएँ	23.88	25.46	21.54	21.65	22.82
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम)	4.19	3.78	4.47	4.43	3.29

चार्ट-2.11 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए कुल व्यय में क्षेत्रवार घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट-2.11: कुल व्यय: गतिविधि के अनुसार व्यय



व्यय के उपरोक्त घटकों से संबन्धित अंश इंगित करते हैं कि वर्ष 2021-22 के दौरान गत वर्ष की तुलना में सामान्य सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के अंशों में आंशिक वृद्धि हुई थी। हालाँकि, सामाजिक सेवाओं तथा अन्य से संबन्धित अंशों में चालू वर्ष के दौरान कमी हुई।

2.6.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा नेटवर्क में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी में योगदान नहीं देता है।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय, कुल व्यय का औसतन 84.02 प्रतिशत (2017-22 के दौरान 82.92 प्रतिशत से 85.57 प्रतिशत के मध्य) रहा। पाँच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से इसके अनुपात तथा स रा घ उ और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष उत्प्लावकता तालिका-2.19 में दर्शायी गई हैं। राजस्व व्यय की प्रवृत्ति और स रा घ उ से इसकी प्रतिशतता चार्ट-2.12 में दर्शायी गई है, जबकि चार्ट-2.13 में 2021-22 से संबन्धित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण दर्शाया गया है।


तालिका-2.19: राजस्व व्यय-आधार मापदंड

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु व्य)	35,074	38,563	38,399	43,667	46,810
राजस्व व्यय (रा व्य)	29,083	32,196	32,859	37,091	38,929
रा व्य की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.08	10.70	2.06	12.88	4.96
राजस्व व्यय कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में	82.92	83.49	85.57	84.94	83.16
रा व्य/स रा घ उ (प्रतिशत)	13.21	13.98	13.87	15.81	15.34
रा व्य रा प्रा की प्रतिशतता के रूप में	107.30	103.14	106.95	97.09	90.41
राजस्व व्यय का उत्प्लावकता के साथ					
स रा घ उ (अनुपात)	1.17	2.33	0.71	-13.14	0.61
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	1.69	0.71	-1.30	0.53	0.39

स्रोत: वित्त लेखे।

चार्ट-2.12: 2017-18 से 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.13: 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (प्रतिशत में)



वर्ष 2021-22 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा स रा घ उ से राजस्व व्यय की प्रतिशतता कम थी। गत वर्ष की अपेक्षा इसमें ₹ 1,838 करोड़ (4.96 प्रतिशत) की नाममात्र बढ़ोत्तरी देखी गई। राजस्व व्यय मध्य अवधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) में दिये गए आकलन (₹ 41,466 करोड़) के सापेक्ष ₹ 2,537 करोड़ कम था।

2.6.1.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

तालिका-2.20, गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय से संबन्धित विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विचलन (50 प्रतिशत से अधिक) का विवरण दर्शाती है। सकारात्मक विचलन के साथ कुछ प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएँ (i) मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत ट्यूबवेल और छोटी नहर

(लिफ्ट) का रखरखाव एवं मरम्मत तथा झीलों से जुड़ी नहरों, झीलों, नालियों का रखरखाव एवं मरम्मत (ii) सूचना तथा प्रचार के अन्तर्गत विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार (iii) निर्वाचन के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार (iv) नागर विमानन के अन्तर्गत एयरोड्रोम (विमान पत्तन) तथा (v) बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास के अन्तर्गत सिविल निर्माण (बाढ़ नियंत्रण) कार्य थीं।

तालिका-2.20: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष		2020-21	2021-22	विचलन (प्रतिशतता)
2015	चुनाव	37.34	114.74	77.40 (207.31)
2041	वाहनों पर कर	0.20	0.48	0.28 (138.00)
2217	शहरी विकास	629.72	100.87	-528.85 (-83.98)
2220	सूचना तथा प्रचार	106.88	383.84	276.96 (259.14)
2701	मध्यम सिंचाई	30.66	125.61	94.95 (309.63)
2702	लघु सिंचाई	122.90	39.93	-82.97 (-67.51)
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	8.00	13.72	5.72 (71.52)
2801	विद्युत	11.38	0.15	-11.23 (-98.70)
2810	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	9.17	13.81	4.64 (50.64)
3053	नागर विमानन	13.99	24.53	10.54 (75.33)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों।

उपरोक्त तालिका मुख्य विचलन (50 प्रतिशत से अधिक) वाले लेखा शीर्षों को दर्शाती है। तालिका यह भी इंगित करती है कि वर्ष के दौरान लघु सिंचाई और विद्युत के अन्तर्गत राजस्व व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आई है। आगे, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान व्यय में कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं देखा गया। इन शीर्षों पर वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय का लगभग 40.20 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष 2021-22 के दौरान 37.41 प्रतिशत व्यय किया गया था।

2.6.2 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, ब्याज भुगतान एवं पेंशन सम्मिलित हैं। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार है। वचनबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार को कम विकल्प देती है। राज्य का एफ आर बी एम अधिनियम निर्धारित करता है कि राजस्व अधिशेष होना चाहिए, इसको प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा अंश वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान एवं पेंशन जैसी वचनबद्ध मदों में चला जाता है।

तालिका-2.21 वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान वचनबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है। कुल राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश चार्ट-2.14 के माध्यम से दर्शाया गया है, जबकि 2017-22 के दौरान राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता चार्ट-2.15 में दी गई है।


तालिका-2.21: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


वचनबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरी	10,496	11,525	11,714	11,755	12,417
ब्याज भुगतान	3,987	4,475	4,504	4,773	4,939
पेंशन पर व्यय	5,033	5,396	5,507	6,168	6,364
सब्सिडी	186	174	35	139	145
योग	19,702	21,570	21,760	22,835	23,865
राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	38.72	36.92	38.13	30.77	28.84
ब्याज भुगतान	14.71	14.34	14.66	12.49	11.47
पेंशन पर व्यय	18.57	17.29	17.92	16.14	14.78
सब्सिडी	0.69	0.56	0.11	0.36	0.34
योग	72.69	69.10	70.83	59.77	55.43
राजस्व व्यय (रा व्य) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	36.09	35.80	35.65	31.69	31.90
ब्याज भुगतान	13.71	13.90	13.71	12.87	12.69
पेंशन पर व्यय	17.31	16.76	16.76	16.63	16.35
सब्सिडी	0.64	0.54	0.11	0.37	0.37
योग	67.75	67.00	66.22	61.56	61.31
स्वयं के कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	103.26	94.56	101.75	98.47	87.59
ब्याज भुगतान	39.22	36.72	39.12	39.98	34.84
पेंशन पर व्यय	49.51	44.27	47.83	51.67	44.89
सब्सिडी	1.83	1.43	0.30	1.16	1.02
योग	193.82	176.98	189.00	191.28	168.34

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों।

चार्ट-2.14: कुल राजस्व व्यय में वचनबद्ध एवं गैर-वचनबद्ध व्यय के अंश



चार्ट-2.15: राजस्व प्राप्तियों और व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश



वचनबद्ध व्यय में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में 2017-18 में 68 प्रतिशत से 2021-22 में 61 प्रतिशत तक कमी आई। इस प्रकार से विकास और रखरखाव कार्यों हेतु ज्यादा निधियाँ उपलब्ध थीं। आगे, राज्य के केंद्रीय करों एवं शुल्कों में अधिक अंश प्राप्ति के कारण वचनबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में 2017-18 में 73 प्रतिशत से 2021-22 में 55 प्रतिशत तक कम हुआ।

2.6.2.1 अन्य वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे में अन्य वचनबद्ध व्यय दिव्यांगों, बच्चों, औरतों और वृद्ध कमजोर एवं निराश्रितों के कल्याण के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत पेन्शन पर व्यय सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, उपयोगिता बिलों के भुगतान पर व्यय जिसमें कि बिजली पर खर्च, जल प्रभार और दूरभाष प्रभार सम्मिलित है, भी अन्य वचनबद्ध व्यय हैं। निम्न तालिका पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2021-22 तक अन्य वचनबद्ध व्यय को दर्शाती है:

तालिका-2.22: अन्य वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

अन्य वचनबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,273.25	1,489.73	1,607.08	1,671.37	1,814.44
उपयोगिता बिलों का भुगतान	268.08	315.04	271.84	290.58	344.87
योग	1,541.33	1,804.77	1,878.92	1,961.95	2,159.31
राजस्व प्राप्ति (रा. प्रा.) के प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.70	4.77	5.23	4.37	4.21
उपयोगिता बिलों का भुगतान	0.99	1.01	0.88	0.76	0.80
योग	5.69	5.78	6.11	5.13	5.01
राजस्व व्यय (रा.व.) के प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4.38	4.63	4.89	4.51	4.66
उपयोगिता बिलों का भुगतान	0.92	0.98	0.83	0.78	0.89
योग	5.30	5.61	5.72	5.29	5.55

स्वयं कर राजस्व के प्रतिशतता के रूप में					
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	12.52	12.22	13.96	14.00	12.80
उपयोगिता बिलों का भुगतान	2.64	2.58	2.36	2.43	2.43
योग	15.16	14.80	16.32	16.43	15.23


जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान अन्य वचनबद्ध व्यय बिना किसी महत्वपूर्ण बदलाव के राजस्व प्राप्त एवं राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में पाँच प्रतिशत से छः प्रतिशत के मध्य रहा। स्वयं के कर राजस्व के रूप में अन्य वचनबद्ध व्यय वर्ष 2020-21 में 16.43 प्रतिशत से आंशिक रूप से कम होकर वर्ष 2021-22 में 15.23 प्रतिशत हो गया। जबकि, अवधि 2017-22 के दौरान यह 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के मध्य रहा।

2.6.2.2 वेतन एवं मजदूरी

गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में राजस्व व्यय में वेतन के अंश में आंशिक रूप से बढ़ोत्तरी हुई। गत वर्ष में थोड़े बदलाव (0.21 प्रतिशत) के साथ वर्ष 2021-22 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राजस्व व्यय का 31.90 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। पाँच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान, यह 2017-18 में ₹ 10,496 करोड़ से ₹ 1,921 करोड़ (18 प्रतिशत) बढ़ कर 2021-22 में ₹ 12,417 करोड़ हो गया। वर्ष 2021-22 के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 12,417 करोड़) एम टी एफ पी एस में अनुमानित ₹ 15,003 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2,586 करोड़ कम था। राज्य सरकार ने वेतन व्यय के अतिरिक्त, व्यावसायिक तथा विशिष्ट सेवाओं पर ₹ 102.33 करोड़ व्यय किये तथा ₹ 1,181.65 करोड़ वेतन एवं भत्तों एवं अन्य व्ययों के लिए सहायता अनुदान के रूप में दिये।

2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान, कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन की राशि की तुलना नीचे चार्ट-2.16 में दी गई है।

चार्ट-2.16: कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई वेतन की राशि की तुलना



2017-18 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति के बाद गत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष में राज्य में कर्मचारियों की संख्या 5490 (2.89 प्रतिशत) बढ़ गयी। परिणामस्वरूप, 2021-22 के दौरान वेतन पर व्यय ₹ 662 करोड़ (5.63 प्रतिशत) बढ़ गया। इसी के साथ ही 2017-22 के दौरान वेतन व्यय में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति देखी गयी।

2.6.2.3 ब्याज भुगतान

वर्ष 2020-21 में ब्याज भुगतान ₹ 4,773 करोड़ से ₹ 166 करोड़ (3.48 प्रतिशत) बढ़ कर वर्ष 2021-22 में ₹ 4,939 करोड़ हो गया, जोकि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज भुगतान ₹ 288 करोड़ एवं राज्य भविष्य निधि पर ब्याज भुगतान ₹ 35 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ जोकि राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज ₹ 75 करोड़, अन्य देयताओं पर ब्याज ₹ 45 करोड़ तथा अन्य आंतरिक ऋण पर ब्याज ₹ 32 करोड़ के घटने से प्रतिसंतुलित हुआ। चालू वर्ष के दौरान, आंतरिक ऋण (₹ 4,124 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि, आदि, (₹ 692 करोड़), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 70 करोड़) और अन्य दायित्वों (₹ 53 करोड़) पर ब्याज भुगतान किया गया। चालू वर्ष के दौरान, राज्य सरकार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित सा भ नि पर ब्याज के रूप में ₹ 115.58 करोड़ की राशि का भुगतान करना पड़ा।

सभी डी डी ओ द्वारा प्रत्येक अभिदाता के खाते में वास्तविक ब्याज जमा किए जाने के अभाव में प्रधान महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी सा भ नि लेखों पर ब्याज की गणना काल्पनिक रूप से की जा रही है।

ब्याज भुगतान को राज्य सरकार के बजट एवं एम टी एफ पी एस में अनुमानों के संदर्भ में तालिका-2.23 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.23: राज्य के अनुमानों के सापेक्ष ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक	राज्य सरकार द्वारा किया गया आकलन			
		बजट		एम टी एफ पी एस	
		अनुमान	विचलन (प्रतिशत)	अनुमान	विचलन (प्रतिशत)
2021-22	4,939	6,053	1,114 (18.40)	5,953	1014 (17.03)

स्रोत: चौ वि आ रिपोर्ट, बजट दस्तावेज़ एवं वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान बजट और एम टी एफ पी एस में किए गए अपने अनुमानों से काफी कम था।

2.6.2.4 पेंशन

वर्ष 2021-22 के दौरान पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 6,364 करोड़ था जोकि राजस्व प्राप्तियों का 14.78 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान, गत वर्ष 2020-21 की अपेक्षा यह 3.18 प्रतिशत

(₹ 196 करोड़) बढ़ा तथा राज्य सरकार द्वारा अपने बजट (6400 करोड़) में किए गए अनुमान से 36 करोड़ कम एवं तथा एम टी एफ पी एस में किए गए अनुमान (6345 करोड़) ₹ 19 करोड़ अधिक था। वेतन की तुलना में पेंशन भुगतान में 2017-18 में 47.95 प्रतिशत से 2021-22 में 51.25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। हालाँकि, जैसा कि तालिका-2.24 में दिया गया है, यह 2020-21 में 52.47 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 2021-22 में 51.25 प्रतिशत हो गया।

तालिका-2.24: वेतन के प्रतिशतता के रूप में पेंशन भुगतान

घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पेंशन भुगतान (₹ करोड़ में)	5,033	5,396	5,507	6,168	6,364
वेतन पर भुगतान (₹ करोड़ में)	10,496	11,525	11,714	11,755	12,417
वेतन के सापेक्ष पेंशन भुगतान का प्रतिशत	47.95	46.82	47.01	52.47	51.25

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत दायित्व

1 अक्टूबर 2005 को या इसके बाद नियुक्त किए गए राज्य सरकार के सभी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) के अंतर्गत आच्छादित हैं, जोकि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है तथा सरकार कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत का योगदान करती है। राज्य सरकार का दायित्व है कि वह कर्मचारी एवं सरकार दोनों का अंश नामित प्राधिकरण, नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल)/ट्रस्टी बैंक के पास एन पी एस के दिशा निर्देशों के अनुसार इसको आगे निवेश के लिए जमा करे।

वर्ष के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में कुल योगदान ₹ 1,185.73 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 478.20 करोड़ और सरकार का योगदान ₹ 707.53 करोड़) था। सरकार द्वारा ₹ 1,185.73 करोड़, लोक लेखे के मुख्य शीर्ष-8342-117 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया। एन पी एस में सरकार का योगदान ₹ 38.05 करोड़ आधिक्य में था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य इस सीमा तक कम दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटा इस सीमा तक अधिक दर्शाया गया था।

वर्ष के दौरान, एन एस डी एल/ट्रस्टी बैंक को ₹ 1,241.72 करोड़ हस्तांतरित किया गया। बकाया शेष धनराशि, ₹ 139.20 करोड़ (2020-21) के सापेक्ष, ₹ 83.21 करोड़ (2021-22) एन एस डी एल को हस्तांतरित होना बाकी है। योजना के अंतर्गत, अर्जित ब्याज के साथ असंग्रहित, बेमेल एवं अहस्तांतरित राशि सरकार के बकाया दायित्व को प्रदर्शित करती है।

2.6.2.5 सब्सिडी

विगत वर्ष के सापेक्ष, वर्ष 2021-22 के दौरान सब्सिडी पर हुए व्यय में आंशिक वृद्धि हुई थी जैसाकि तालिका-2.25 में दिये गए विवरण में देखा जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों से सब्सिडी की प्रतिशतता

में 2017-18 में 0.69 प्रतिशत से 2019-20 में 0.11 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी आयी परंतु वर्ष 2020-21 में यह पुनः बढ़कर 0.36 प्रतिशत हो गई। हालांकि, विगत वर्ष के सापेक्ष 2021-22 में इसमें नाममात्र वृद्धि ₹ 6 करोड़ (4.32 प्रतिशत) हुई।

तालिका-2.25: 2017-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	186	174	35	139	145
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	0.69	0.56	0.11	0.36	0.34
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	0.64	0.54	0.11	0.37	0.37

2021-22 के दौरान, जिन प्रमुख योजनाओं में सब्सिडी पर व्यय किया गया था वे दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता कृषक कल्याण योजना (₹ 45 करोड़), खाद्य भंडारण और भंडारगृह के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी (₹ 41 करोड़), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (₹ 31 करोड़), पौली हाउस विविधिकरण एवं स्प्रिंकलर वॉटर पम्प योजना (₹ 7 करोड़), मुख्य मंत्री महिला स्वयं सहायता समूह (₹ 5 करोड़), और खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट (₹ 5 करोड़) थी। 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने अपने बजट में ₹ 230 करोड़ एवं संशोधित अनुमान में ₹ 145 करोड़ सब्सिडी का आकलन किया था।

अंतर्निहित सब्सिडी

तालिका-2.26: 2017-22 के दौरान अंतर्निहित सब्सिडी पर व्यय

अंतर्निहित सब्सिडी	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
फसल बीमा	2.30	3.22	3.99	1.89	2.16
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता	7.20	24.00	45.19	123.90	85.70
योग	9.50	27.22	49.18	125.79	87.86

उपरोक्त तालिका-2.26 दर्शाती है कि राज्य सरकार द्वारा 2017-18 से 2021-22 के दौरान फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत फसल बीमा योजना के लिए ₹ 13.56 करोड़ की राशि अंतर्निहित सब्सिडी के रूप में भी दी गयी और 2017-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों के अन्तर्गत सड़क परिवहन को वरिष्ठ नागरिकों, छात्राओं एवं पहाड़ी रास्तों में बस संचालन के कारण हुये नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 285.99 करोड़ की राशि सहायता के रूप में दी गयी।

2.6.2.6 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान एवं ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता को तालिका-2.27 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-2.27: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज, विश्वविद्यालय)	464.93	544.70	573.62	1,531.82	901.68
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	753.33	717.07	902.05	976.91	734.27
3.	जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थान	715.21	742.25	814.62	955.29	655.97
4.	विकास एजेंसियाँ	546.93	555.82	494.84	539.27	483.71
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	252.98	436.19	353.03	552.66	630.04
6.	ऊर्जा (ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत)	11.78	11.69	13.30	9.17	13.81
7.	कृषि अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान, भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए भूमि सुधार और वन्य जीवन संरक्षण	476.94	593.57	585.49	915.03	902.30
8.	सहकारी समितियाँ	3.73	2.67	1.55	15.18	14.26
9.	पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन	38.77	41.80	51.17	55.77	70.97
10.	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ और पर्यटन	46.92	51.12	47.27	56.38	64.19
11.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	232.65	216.54	238.66	250.85	178.48
12.	अन्य संस्थान	119.64	552.36	724.60	582.44	1208.77
योग		3,663.81	4,465.78	4,800.18	6,440.77	5858.45
रा व्य के प्रतिशतता के अनुसार सहायता		12.60	13.87	14.61	17.36	15.05

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड का वी एल सी डाटा।

चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा प्रदान की गई सहायता में ₹ 541.96 करोड़ की कमी हुई। चालू वर्ष के दौरान, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं को दी गई सहायता कुल वित्तीय सहायता की 24 प्रतिशत लेखांकित की गई।

चौथे राज्य वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का 11 प्रतिशत राशि हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। 2017-18 से 2021-22 के दौरान हस्तांतरित की जाने वाली राशि और वास्तविक हस्तांतरित राशि तालिका-2.28 में दी गई है।

तालिका-2.28: हस्तांतरित की जाने वाली राशि की तुलना में स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य के स्वयं के कर राजस्व (रा स्व क रा)	10,165	12,188	11,513	11,938	14,176
हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि (2016-17 से आगे रा स्व क रा का 11 प्रतिशत)	1,118.15	1,340.68	1,266.43	1,313.18	1,559.36
स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कुल धनराशि	1,468.54	1,459.32	1,716.67	1,932.2	1,390.24
स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तांतरित धनराशि रा स्व क रा की प्रतिशतता के रूप में	14.45	11.97	14.91	16.19	9.81

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक), उत्तराखण्ड वी एल सी डाटा और राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियाँ।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2017-20 के दौरान स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के कर राजस्व का वास्तविक हस्तांतरण 12 से 16 प्रतिशत की सीमा में था जो कि 2021-22


के दौरान महत्वपूर्ण रूप से घटकर 9.81 प्रतिशत हो गया। 2021-22 के दौरान वास्तविक हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राशि से कम था।

2.6.3 पूँजीगत व्यय


पूँजीगत व्यय प्रमुख रूप से स्थायी बुनियादी ढाँचागत सम्पत्तियों जैसे सड़क, भवन आदि के निर्माण पर होने वाला व्यय है।

कुल पूँजीगत व्यय 2017-18 में ₹ 5,914 करोड़ से 2021-22 में ₹ 7,534 करोड़ तक बढ़ा है। चालू वर्ष में यह ₹ 996 करोड़ (15.23 प्रतिशत) बढ़ा। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों में किए गए अनुमान (₹ 7,112 करोड़) के सापेक्ष ₹ 422 करोड़ अधिक था लेकिन बजट में किए गए अनुमान (₹ 8,973 करोड़) के सापेक्ष, ₹ 1,439 करोड़ कम था। चार्ट-2.17 में पाँच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान, बजट आवंटन के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का विवरण दिया गया है और चार्ट-2.18 में स रा घ उ और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति दी गई है।

चार्ट-2.17: 2016-17 से 2020-21 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट-2.18: पूँजीगत व्यय की स रा घ उ व कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रवृत्ति



2.6.3.1 पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव

तालिका-2.29 में गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय में विभिन्न लेखाशीर्षों में हुई महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी अथवा कमी (50 प्रतिशत से अधिक) को दिखाने वाले प्रकरण दर्शित हैं।

तालिका-2.29: 2020-21 के सापेक्ष 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय	2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) (प्रतिशत में)
4408 खाद्य भंडारण तथा भंडारग्रह पर पूँजीगत परिव्यय	71.29	493.97	422.68 (592.90)
4859 दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	2.86	10.68	7.82 (273.43)
5053 नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	3.61	12.98	9.37 (259.56)
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.75	--
4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	172.94	313.19	140.25 (81.10)
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय	42.09	73.80	31.71 (75.34)
4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	648.18	1059.87	411.69 (63.51)
4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	4.19	6.84	2.65 (63.25)
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	21.24	34.60	13.36 (62.90)
4851 ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	7.25	3.28	(-) 3.97 (-54.76)
4405 मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	4.30	1.30	(-) 3.00 (-69.77)
4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	(-) 2.65	-0.05	2.60 (98.11)

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता वृद्धि/कमी हैं।

मुख्य योजना जिसमें सारभूत वृद्धि चिन्हित हुई वह केंद्र योजित/केंद्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत खाद्य भंडारण तथा भंडागारण पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत खरीद एवं आपूर्ति योजना थी।

2.6.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

अगर राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश जारी रखती है, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वहाँ निवेश पर प्रतिलाभ की संभावना नहीं होती है। ऐसे ही अनुभवों ने दिखाया है कि चीनी मिलों, वित्त निगमों आदि क्षेत्रों के घाटे में चल रहे निगमों तथा अन्य खराब तरीके से चल रहे निकायों को दिये गए ऋणों को अनिवार्यता बट्टे खाते में डालना पड़ता है। ऐसे वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। इस खण्ड में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

(i) कंपनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

ऐसी कंपनियों (जैसे ऊर्जा वितरण कंपनियाँ), निगमों (जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त निगम), एवं सहकारिता (जैसे चीनी मिल) जो घाटे में चल रही हैं और जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, में किये गये निवेश तथा उनको दिये गए ऋण टिकाऊ नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशित शेयर पूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को प्रदान किए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में 31 मार्च 2022 तक एक संविधिक निगम तथा 16 सरकारी कंपनियों में ₹ 3,818.94 करोड़ का निवेश किया था। 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने इन निवेशों से ₹ 35.05 करोड़ प्रतिफल अर्जित किया। तालिका-2.30 में 2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्ष की अवधि में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए निवेश का वर्ष-वार विवरण प्रस्तुत किया गया है:

तालिका-2.30: निवेश का विवरण और निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश /प्रतिफल/ उधार की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्ष के अंत तक निवेश	3,209.24	3,402.45	3,534.95	3,683.54	3,818.94
निवेश पर प्रतिफल	22.69	18.69	14.08	40.02	35.05
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.71	0.55	0.40	1.09	0.92
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.27	8.15	7.26	6.83	6.55
ब्याज दर और प्रतिफल (प्रतिशत) के बीच अंतर	7.56	7.60	6.86	5.74	5.63
सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण परिकल्पित नुकसान	242.62	258.59	242.50	211.44	215.01

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर औसत प्रतिफल नगण्य था और निवेश के (ऐतिहासिक लागत पर) 0.40 प्रतिशत से 1.09 प्रतिशत के बीच था। गत वर्ष में 1.09 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान यह घटकर 0.92 प्रतिशत हो गया। जबकि, सरकार ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान अपनी उधारियों पर ब्याज का भुगतान 7.41 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से किया।

(ii) शेष राशि का समाधान

राज्य के साक्षे उ के अभिलेखों के अनुसार, अदत्त प्रतिभूति, अंश तथा ऋण के संबंध में आँकड़े उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के आँकड़ों के साथ मेल खाने चाहिए। यदि इन आँकड़ों में कोई भिन्नता होती है तो, संबन्धित रासाक्षे उ तथा वित्त विभाग को भिन्नता का समाधान करना चाहिए। तालिका-2.31 में दिनांक 31 मार्च 2022 को अंश, ऋण एवं प्रतिभूति के आँकड़ों में भिन्नता प्रदर्शित की गयी है।

तालिका-2.31: वित्त लेखों के सापेक्ष रा सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार अंश, ऋण एवं प्रतिभूति के बकायों के आकड़े

(₹ करोड़ में)

के सापेक्ष बकाया	वित्त लेखों के अनुसार	एस पी एस ई के आँकड़ों के अनुसार	अंतर
अ	ब	स	(ब-स)
अंश	3,818.94	3,856.24	-37.30
ऋण	635.63	969.83	-334.20
प्रतिभूति	123.46	318.71	-195.25

स्रोत: विद्युत क्षेत्र के रा सा क्षे उ और वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

आँकड़ों में भिन्नता पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। प्रारम्भिक रूप से यह भिन्नता महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में राजकीय लेखों में वाउचर के आधार पर निवेश लेन-देन की प्रविष्टि एवं व्यक्तिगत सा क्षे उ से प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिये गये विवरण के आधार पर जनित हुई। राज्य सरकार द्वारा इन सा क्षे उ में किए गए निवेश में भिन्नता का समायोजन किया जा रहा है।

(iii) भारत सरकार लेखांकन मानक - 2 का अनुपालन न होना


उत्तराखण्ड सरकार की संस्थाओं को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में निधियों का आवंटन एवं संचालन राजस्व क्षेत्र के बजाए पूँजीगत शीर्ष में जारी है। वर्ष 2021-22 के दौरान दो पूँजीगत मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत ₹ 25.57 करोड़ के ऐसे अनुदान दिये गए और लेखांकित किए गए थे। यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार लेखांकन मानक (भा स ले मा)-2 का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों को छोड़कर परिसंपत्ति के सृजन के उद्देश्य हेतु सहायता अनुदान से व्यय को सरकार की वित्तीय विवरणों में पूँजीगत लेखाशीर्ष में डेबिट नहीं किया जाएगा। यह विशेष तौर पर इस तथ्य के कारण है कि पूँजीगत परिसंपत्तियाँ सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की पुस्तकों में अभिलेखित की जाती हैं न कि सहायता अनुदान प्रदान करने वाले की अर्थात् सरकार की।

तालिका-2.32 राज्य द्वारा राजस्व के बजाय पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) के रूप में जी आई ए के वर्गीकरण की मात्रा पर प्रकाश डालती है। **चार्ट-2.19** 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य द्वारा भा स ले म-2 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के प्रभाव को पूर्ण रूप से दर्शाता है क्योंकि 2017-18 से 2019-20 के दौरान, राजस्व घाटे को कम करके आंका गया था जबकि 2020-21 और 2021-22 में राजस्व अधिशेष को अधिक बताया गया था। उक्त अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय को भी उस सीमा तक अधिक बताया गया था। व्यय के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व अधिकता ₹ 6.36 (26.00 - 19.64) करोड़ अधिक बताया गया।

तालिका-2.32: भा स ले मा-2 के गैर-अनुपालन का प्रभाव

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूँजीगत व्यय	5,914	6,184	5,414	6,538	7,534
सहायता अनुदान को पूँजीगत व्यय के रूप में इन्द्राज किया गया	48	47	46	80	26
पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान की इन्द्राज करने की प्रतिशतता	0.81	0.76	0.85	1.22	0.35
राज्य का राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128
वास्तविक राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+), यदि सहायता अनुदान से व्यय को रा व्य के रूप में माना जाता है	(-) 2,026	(-) 1,027	(-) 2,182	(+) 1,034	(+) 4,102

चार्ट-2.19: वास्तविक राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)



(iv) पाँच वर्षों के दौरान ऋणों के वितरण एवं वसूली की मात्रा

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य सरकार ने बहुत संस्थाओं/ संगठनों को ऋण प्रदान किए हैं। तालिका-2.33, 31 मार्च 2022 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों के साथ पाँच वर्षों 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के ब्याज प्राप्ति तथा ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करता है।

तालिका-2.33: 2017-22 के दौरान संवितरित ऋणों की मात्रा एवं वसूलियों का विवरण

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया ऋण का प्रारम्भिक शेष	1,726.65	1,769.97	1,926.54	2,033.40	2,047.91
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	76.83	183.48	125.78	37.56	347.45
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	33.51	26.91	18.92	23.05	17.08
लंबित ऋण का समापन बकाया	1,769.97	1,926.54	2,033.40	2,047.91	2,378.28
निवल परिवर्धन	43.32	156.57	106.86	14.51	330.37
प्राप्त ब्याज	0.08	1.13	25.65	58.78	359.22

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधार की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
लंबित ऋण और अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	0.005	0.06	1.33	2.89	17.54
सरकारी उधार पर दिये गए औसत ब्याज की दर (प्रतिशत)	8.27	8.15	7.26	6.83	6.55
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्त के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.27	8.09	5.93	3.94	-10.99

31 मार्च 2022 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों की कुल धनराशि ₹ 2,378.28 करोड़ थी। ऋणों के संवितरण की धनराशि 2020-21 में ₹ 37.56 करोड़ से 825.05 प्रतिशत बढ़ कर वर्ष 2021-22 में ₹ 347.45 करोड़ हो गई। आर्थिक सेवाओं में प्रमुख प्राप्तकर्ता ऊर्जा क्षेत्र ₹ 289.73 करोड़ (83.39 प्रतिशत) तत्पश्चात परिवहन क्षेत्र ₹ 57.38 करोड़ (16.51 प्रतिशत) था।

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2020-21 में ₹ 23.05 करोड़ से ₹ 5.97 करोड़ घट कर वर्ष 2021-22 में ₹ 17.08 करोड़ हो गई। तथापि, इस संबंध में ब्याज प्राप्ति वर्ष 2020-21 में ₹ 58.78 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से ₹ 300.44 करोड़ (511.13 प्रतिशत) बढ़कर चालू वर्ष में ₹ 359.22 करोड़ हो गयी।

कुल लंबित ऋणों की जाँच में पाया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में (मार्च 2022 तक) चार क्षेत्रों नामतः सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास एवं परिवहन क्षेत्र द्वारा पुनर्भुगतान नहीं किया गया था जैसाकि तालिका-2.34 में वर्णित किया गया है और एक क्षेत्र (परिवहन) को पुनर्भुगतान न किये जाने के बावजूद अतिरिक्त ऋण दिया गया था। विगत वर्षों में संपूर्ण लंबित बकाया बढ़ा है।

तालिका-2.34: लंबे समय के लिए बढ़ाए गए ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	47.89	42.09	42.09	42.09	42.09
3.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	899.79	1,011.24	1,119.57	1,117.47	1,116.47
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	503.16	503.16	503.16	503.16	503.16
5.	परिवहन	148.53	153.80	153.80	158.09	215.47
योग		1,606.64	1,618.84	1,729.76	1,838.09	1,896.55

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ₹ 771.10 करोड़ की धनराशि का अग्रिम दिया गया जबकि ₹ 119.47 करोड़ की धनराशि की वसूली की गई। वर्ष के प्रारम्भ में बकाया धनराशि तथा वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई धनराशि के सापेक्ष वसूली, प्रत्येक वर्ष कम हो कर वर्ष 2017-18 में 1.86 प्रतिशत से 2021-22 में 0.71 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान, पुनर्भुगतान की गयी राशि ₹ 17.08 करोड़ थी जो 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण (₹ 2,047.91 करोड़) का 0.83 प्रतिशत थी।

चूँकि ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाते सही स्थिति दर्शाते हैं, इन ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में लेने तथा इन्हें राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करने पर विचार कर सकती है।

(v) अपूर्ण/जारी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्ति का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता की ओर संकेत करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा राज्य को अपेक्षित लाभ से लंबे समय तक वंचित रखता है। आगे, संबन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार ली गयी निधियाँ, ऋण और ब्याज की देयता के रूप में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती हैं।

वर्ष 2021-22 के राज्य वित्त लेखे के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक लोक निर्माण विभाग में 75 अपूर्ण/चालू परियोजनाएँ थीं। 31 मार्च 2022 को इन परियोजनाओं के स्वीकृति वर्ष/कार्य प्रारम्भ होने के वर्ष के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा तालिका-2.35 में दी गयी है।

तालिका-2.35: 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)
2016-17 तक स्वीकृत	57	455.66	327.29	71.83
2017-18	2	6.55	3.51	53.59
2018-19	7	20.56	13.94	67.80
2019-20	7	22.16	10.39	46.89
2020-21	0	0	0	0
2021-22	2	4.73	2.04	43.13
योग	75	509.66	357.17	70.08

स्रोत: वित्त लेखे।

इन सभी परियोजनाओं को त्वरित रूप से पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि लागत वृद्धि से बचा जा सके। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव, वित्त द्वारा कहा गया कि अन्य कम लागत की महत्वपूर्ण परियोजनाओं सहित ऐसी परियोजनाएँ जिनकी लागत पाँच करोड़ या उससे अधिक है, का अनुश्रवण प्रधान मंत्री गति शक्ति पोर्टल के द्वारा किया जा रहा है। पोर्टल पर विवरण अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

(vi) सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य के संसाधनों की उपलब्धता

सार्वजनिक निजी सहभागिता सरकार या सांविधिक इकाई और एक निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है, जो कि बुनियादी विकास हेतु लोगों की माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु एक संरचना प्रदान करती है। तालिका-2.36 में राज्य में चल रही परियोजनाओं का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.36: पी पी पी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		चल रही है	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	परिवहन	3	71.42	3	63.76
2.	ऊर्जा	0	0	2	117.50
3.	शहरी	5	441.73	5	364.55
4.	पर्यटन	3	25.00	1	35.00
5.	स्वास्थ्य	6	84.40	0	0
योग		17	622.55	11	580.81

स्रोत: उत्तराखण्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल डैशबोर्ड (<http://www.upppc.org/projects/projects>)

2.7 व्यय की प्राथमिकताएँ

मानवीय विकास स्तर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार अपने व्यय को प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर करने के लिए कदम बढ़ाये। अगर विशेष क्षेत्र में आवंटन संबन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है तो यह निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) को दर्शाता है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना उच्चतर हो व्यय की गुणवत्ता को उतना अच्छा समझा जाता है।

तालिका-2.37 में वर्ष 2017-18 को आधार वर्ष मानते हुए, 2021-22 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूँजीगत व्यय में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का उ पू एवं हिमालयी राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है।

तालिका-2.37: 2017-18 और 2021-22 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कु व्य/ स रा घ उ	सा क्षे व्य/ कु व्य	आ क्षे व्य/ कु व्य	वि व्य/ कु व्य	पूँ व्य/ कु व्य	शिक्षा/ कु व्य	स्वास्थ्य/ कु व्य
2017-18 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	26.07	34.98	29.17	64.15	16.10	17.56	6.22
उत्तराखण्ड	15.93	34.26	23.66	58.14	16.86	18.85	4.28
2021-22 में औसत (अनुपात)							
उ पू एवं हिमालयी	27.56	35.55	27.01	62.56	17.46	15.95	7.25
उत्तराखण्ड	18.44	38.10	22.08	60.92	16.09	18.33	6.20
कु व्य: कुल व्यय; वि व्य: विकास व्यय; सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र व्यय; आ क्षे व्य: आर्थिक क्षेत्र व्यय; पूँ व्य: पूँजीगत व्यय।							

2021-22 में उत्तराखण्ड राज्य के औसत व्यय का 2017-18 के साथ तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है-

- स रा घ उ के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय 2017-18 की तुलना में 2021-22 में 2.51 प्रतिशतता अंक अधिक था।
- 2021-22 में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय (वि व्य) 2017-18 की तुलना में 2.78 प्रतिशतता अंक अधिक था।
- 2017-18 की तुलना में 2021-22 में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र का व्यय 3.84 प्रतिशतता अंक अधिक था।
- 2017-18 की तुलना में 2021-22 में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र का व्यय 1.58 प्रतिशतता अंक कम था।
- कुल व्यय में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का अनुपात 2017-18 की तुलना में 2021-22 में मामूली रूप से 0.77 प्रतिशतता अंक कम हुआ।

आगे, 2017-18 के साथ 2021-22 में उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत और उत्तराखण्ड के औसत के तुलनात्मक अध्ययन में निम्नलिखित देखा गया:


- राज्य में स रा घ उ के अनुपात में कुल व्यय (कु व्य) दोनों वर्षों के दौरान उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से काफी कम रहा।
- 2017-18 और 2021-22 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय उ पू और और हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
- 2017-18 के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय थोड़ा कम था। हालाँकि, 2021-22 में उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत की तुलना में यह 2.55 प्रतिशत अधिक था।
- राज्य में कुल व्यय के अनुपात में आर्थिक क्षेत्र व्यय उ पू और और हिमालयी राज्यों के व्यय की तुलना में दोनों वर्षों के दौरान कम था।
- राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यय को प्राथमिकता दी गयी थी तथा दोनों वर्षों में कुल व्यय से शिक्षा व्यय का अनुपात उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था।
- कुल व्यय के अनुपात में स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यय उ पू और हिमालयी राज्यों के औसत से दोनों वर्षों में कम था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव वित्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय की स्थिति को बेहतर करने तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यय को सही प्रकार अंकित करने हेतु शीर्षवार विश्लेषण किया जाएगा।

वस्तु शीर्ष वार व्यय

वस्तु शीर्ष वार व्यय, व्यय के लक्ष्य/उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण चार्ट-2.20 में नीचे दिया गया है।

चार्ट-2.20: वस्तु शीर्ष वार व्यय का विवरण



2.8 लोक लेखा

कुछ लेन देनों जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तों, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते हैं, से संबन्धित प्राप्तियों एवं संवितरण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है तथा ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं है। इनके संबंध में सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है।

2.8.1 लोक लेखा में निवल बकाया

राज्य के लोक लेखे में वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान घटक वार निवल बकाया शेषों को नीचे तालिका-2.38 में दिया गया है।

तालिका-2.38: वर्ष के 31 मार्च को लोक लेखे में घटक-वार निवल बकाया

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
I. लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि		619.47	889.86	665.79	431.46	333.88
जे. आरक्षित निधि	ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	109.77	112.77	2,759.12	89.90	-467.57
	ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	(-) 4.7	(-) 1.23	149.48	150.00	210
	आरक्षित निधियों से निवेश	0	0	(-) 150.00	(-) 150.00	(-)210
	योग	105.07	111.54	2,758.60	89.90	(-) 467.57
के. जमा एवं अग्रिम	ब्याज सहित जमा	0.58	53.02	(-) 2.77	3.57	-7.36
	ब्याज रहित जमा	718.09	(-) 64.08	504.35	378.43	-673.73
	अग्रिम	0	0	0	0	0
	योग	718.67	(-) 11.06	501.58	382.00	(-) 681.09

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
एल. उचंत एवं विविध	उचंत	122.44	102.82	(-) 124.82	(-) 103.72	285.28
	अन्य लेखे	607.90	70.26	(-) 1,039.63	(-) 490.83	-7.46
	विदेशी सरकारों के साथ लेखे	(-) 0.01	(-) 0.01	0.04	0	0
	विविध	0	0	0	0	0
	योग	730.33	173.07	(-) 1,164.41	(-) 594.55	277.82
एम. प्रेषण	मनी आर्डर, और अन्य प्रेषण	15.89	(-) 4.5	(-) 4.38	0	-0.04
	अंतर-सरकारी समायोजन लेखे	15.48	683.65	3.76	(-) 6.41	12.33
	योग	31.37	679.15	(-) 0.62	(-) 6.41	12.29
महायोग		2,204.91	1,842.56	2,760.94	302.40	(-)524.67


नोट- (-) डेबिट बकाया दर्शाता है और (+) क्रेडिट बकाया दर्शाता है।

*एल उचंत और विविध के अंतर्गत अन्य लेखे में विभागीय शेष, स्थायी नकद अग्रदाय और नकद शेष निवेश लेखे को छोड़कर अन्य खाते।

2017-22 की पाँच वर्ष की अवधि में लोक लेखा के अवशेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट-2.21 में दिया गया है।

चार्ट-2.21: लोक लेखा अवशेषों की संरचना में वर्षवार परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



जैसाकि तालिका-2.38 में दर्शाया गया है, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक घटक वार निवल-लोक लेखा शेषों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। निवल-लोक लेखा शेष 2020-21 में ₹ 302.40 करोड़ से ₹ 827.07 करोड़ घटकर 2021-22 में ₹ (-)524.67 करोड़ हो गया था। यह निवल जमा एवं अग्रिम (₹ 1063.09 करोड़), निवल आरक्षित निधि (₹ 557.47 करोड़) और निवल लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि (₹ 97.58 करोड़) में कमी के कारण थी जिसे उंचंत एवं विविध (₹ 872.37 करोड़) द्वारा प्रतिसंतुलित कर लिया गया।


2.8.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ राज्य के समेकित निधि से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं।

31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार नौ आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी जिसमें से दो आरक्षित निधियाँ ब्याज सहित (₹ 2,875.88 करोड़ क्रेडिट) और सात आरक्षित निधियाँ ब्याज रहित (₹ 1,777.13 करोड़ क्रेडिट) हैं। इन नौ निधियों में से, दो निधियाँ (शेष ₹ 36.48 करोड़ डेबिट) निष्क्रिय हैं और सात निधियाँ (शेष ₹ 4,689.50 करोड़ क्रेडिट) सक्रिय हैं, जिसमें से ₹ 1,698.62 करोड़ (36.22 प्रतिशत) का निवेश किया गया था।

सक्रिय एवं निष्क्रिय निधियों के अंतर्गत संचित बकायों की प्रवृत्ति नीचे चार्ट-2.22 में दिखायी गयी है।

चार्ट-2.22: सक्रिय एवं निष्क्रिय आरक्षित निधियों की प्रवृत्ति



आरक्षित निधियों (सक्रिय-निष्क्रिय) में वर्ष के दौरान लेन-देन के विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

2.8.2.1 निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ

दो आरक्षित निधियाँ लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। इन दो निधियों में ₹ 36.48 करोड़ (डेबिट) का अवशेष है। इन निष्क्रिय निधियों का विवरण नीचे तालिका-2.39 में दिया गया है।

तालिका-2.39: निष्क्रिय आरक्षित निधियों का विवरण

क्र. सं.	निधि का नाम	31 मार्च 2022 तक राशि (₹ करोड़ में)	स्थापना वर्ष	निष्क्रिय (कब से)
1.	शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000-01	2007-08
2.	विद्युत विकास निधि	36.49 (डेबिट)	2005-06	2015-16
योग		36.48 (डेबिट)		

2.8.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 2010-11 में आपदा राहत निधि के स्थान पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आर एफ) की स्थापना की। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और विशेष श्रेणी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड को इस निधि में 90:10 के अनुपात में योगदान करना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह योगदान लोक-लेखे के अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्ष 8121 को स्थानांतरित करना है। वर्ष के दौरान किए गए व्यय मुख्य लेखा-शीर्ष 2245 द्वारा संचालित होंगे। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय को लोक खाते को डेबिट के साथ व्यय मुख्य लेखा शीर्ष 2245 को विपरीत कटौती डेबिट प्रविष्टि करके समायोजित किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में व्यय हेतु धन अपर्याप्त होता है तो भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। एन डी आर एफ के अंतर्गत प्रदान की गई सम्पूर्ण निधि को सीधे प्राकृतिक आपदा पर खर्च किया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिए एस डी आर एफ पर भारत व्यय का विवरण तालिका-2.40 तथा एस डी आर एफ के विवरण तालिका-2.41 में दिये गये हैं।

तालिका-2.40: एस डी आर एफ पर भारत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु-लेखा शीर्ष	2021-22 के दौरान व्यय
2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	101-आरक्षित निधि और जमा लेखों में स्थानांतरण	2,331.69
	901-कटौती-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से मिली राशि	(-) 1,498.89
	उप-योग	832.80
2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 80-सामान्य	102-आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	78.73
	800-अन्य व्यय	386.05
	उप-योग	464.78
महायोग		1297.58

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका-2.41: एस डी आर एफ का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2021)	केंद्र द्वारा योगदान	राज्यांश	योग	निकाली गई राशि (मुख्य शीर्ष 2245-05)	निधि में शेष राशि (31 मार्च 2022)	वर्ष के दौरान आर बी आई के माध्यम से निवेश की गई राशि
668.36	749.60	83.20	832.80	1,498.89	2.27	शून्य

स्रोत: वित्त लेख।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एस डी आर एफ से न तो कोई निवेश किया है और न ही बकाया निधि पर कोई ब्याज दिया है जो एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान सचिव वित्त द्वारा कहा गया कि एस डी आर एफ के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु कड़े प्रयत्न किए जाएंगे।

2.8.2.3 प्रतिभूति मोचन निधि

वर्ष 2006-07 में उत्तराखण्ड सरकार ने प्रतिभूति मोचन निधि का गठन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य निकायों द्वारा ली गयी उधारियों एवं सरकार द्वारा जारी बॉन्ड के संबंध में जारी प्रतिभूतियों एवं लाभार्थियों द्वारा मांगे गए भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया था। निधियों के संचय का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के भुगतान हेतु ही किया जाना है न कि संस्थाओं, जिनकी तरफ से प्रतिभूति दी गई है, के भुगतान हेतु।

उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिसम्बर 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार के बकाया मांगी गई प्रतिभूतियों के कम से कम 1/5वें हिस्से के साथ-साथ वर्ष के दौरान जारी वृद्धिशील प्रतिभूति के फलस्वरूप मांगी जा सकने वाली प्रतिभूति राशि के बराबर योगदान करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधियों का निवेश किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 2021-22 के दौरान कोई प्रतिभूति नहीं मांगी गई थी। चालू वर्ष के दौरान, समेकित निधि से प्रतिभूति मोचन निधि में ₹ 10.00 करोड़ राशि का योगदान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रशासक भी है, के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि के संग्रह को धीरे-धीरे लंबित प्रतिभूतियों के पाँच प्रतिशत के वांछित स्तर तक बढ़ाया जाना था, जिसका पूरी तरह पालन किया गया था, चूँकि ₹ 374.34 करोड़ की लंबित प्रतिभूतियों के सापेक्ष निधि का संग्रह ₹ 153.92 करोड़ (₹ 95.00 करोड़ मूलधन + ₹ 58.92 करोड़ ब्याज) था। प्राप्त होने वाली प्रतिभूति कमीशन शुल्क ₹ 7.17 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.87 करोड़ प्राप्त हुए जिसके फलस्वरूप ₹ 5.30 करोड़ का प्रतिभूति कमीशन शुल्क कम प्राप्त हुआ। उत्तराखण्ड राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2016 के अनुसार प्राप्त होने वाली प्रतिभूति शुल्क को प्रतिभूति मोचन निधि के अंतर्गत लोक लेखे में जमा कराना होता है। जबकि राज्य सरकार इसको राजस्व प्राप्ति के रूप में मान रही थी। इसके फलस्वरूप

उस सीमा तक राजस्व अधिशेष को अधिक दर्शाया गया तथा राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया था। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रतिभूति मोचन निधि से किए गए निवेश से औसत आय 8.15 प्रतिशत थी। प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण तालिका-2.42 में दिया गया है।

तालिका-2.42: प्रतिभूति मोचन निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2021)	निधि में जमा (योगदान और ब्याज)		निधि से भुगतान	निधि में कुल शेष	वर्ष के दौरान आर बी आई द्वारा निवेश की गई राशि	अंतिम शेष (31 मार्च 2022)
	वांछित स्तर का योगदान (31 मार्च 2021 को लंबित प्रतिभूतियों का 5 प्रतिशत)	वास्तविक किया गया योगदान				
133.64 (85.00 मूलधन एवं 48.64 ब्याज)	35.83 (716.59*5%)	20.28 (10.00 मूलधन एवं 10.28 ब्याज)	शून्य	153.92 (95.00+58.92)	153.92	शून्य

स्रोत: वित्त लेखे।

2.8.2.4 राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि

उत्तराखण्ड राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि की स्थापना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सितम्बर 2018 में, प्राप्त हुई धनराशि के प्रबंधन हेतु तथा एकत्र हुए पैसों को प्रतिपूर्ति वनीकरण के उपयोग हेतु, प्राकृतिक पुनर्जनन हेतु सहायक बनने, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढाँचागत विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा मामले तथा आकस्मिक मामलों पर व्यय करने हेतु की गई थी। इस निधि के अंतर्गत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरण मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2018 में जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा हालाँकि अभी तक इन दिशा-निर्देशों को अपनाया नहीं गया है और लेखांकन प्रक्रिया⁴ को लागू नहीं किया है। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य को राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि से उत्तराखण्ड के अंश के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 198.52 करोड़ की धनराशि मुख्य लेखाशीर्ष '8121-129' राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि के अंतर्गत जमा की। राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को कुल ₹ 2873.61 करोड़ शेष था।

⁴ यह दिशानिर्देश बताते हैं, कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकार को प्राप्त धनराशियों को मुख्य शीर्ष 8336 सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष "राज्य प्रतिपूर्ति वनीकरण जमा" में डाला जायेगा। इसमें से 90 प्रतिशत राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-129 में हस्तांतरित किया जाएगा एवं 10 प्रतिशत राष्ट्रीय निधि में। इसी तरह व्यय शुरुआत में मुख्य शीर्ष-2406 के तहत दर्ज किया जाएगा तत्पश्चात संबंधित मुख्य लेखा शीर्ष-2406 में घटाए वापसी दर्ज कर लोक लेखे के मुख्य शीर्ष-8121-129 से हस्तांतरित किया जाएगा।

2.8.3 ब्याज सहित आरक्षित निधियों एवं जमाओं के सापेक्ष ब्याज की देनदारियों का निर्वहन न करना

लोक लेखे की ₹ 156.49 करोड़ की ब्याज की देनदारियों जे एवं के क्षेत्रों के अंतर्गत क्रमशः ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ एवं ब्याज सहित जमा में वार्षिक देयता है जिसे राज्य सरकार को निर्वहन करने की आवश्यकता है। इन आरक्षित निधियों और जमाओं के ऐसे बकायों पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान हेतु बजट प्रावधान करने की आवश्यकता है। 01 अप्रैल 2021 को देय ब्याज का विवरण नीचे तालिका-2.43 में दिया गया है।

तालिका-2.43: आरक्षित निधि और जमाओं में ब्याज की अनिर्वाहित देयता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज की दर	2021-22 की शुरुआत में अवशेष	देय ब्याज
जे-आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि (एस डी आर एफ सहित)	4.00 प्रतिशत (अर्थोपाय ब्याज दर का औसत)	3,343.45	133.74
के-जमा और अग्रिम	(ब) ब्याज सहित जमा (सी पी एस मुख्य शीर्ष-8342-117 को छोड़कर)	4.00 प्रतिशत (अर्थोपाय ब्याज दर का औसत)	321.69	12.87
	एनपीएस के अन्तर्गत अहस्तांतरित धनराशि (8342-117)	ब्याज की गणना सरकार द्वारा अधिसूचित/ सामान्य भविष्य निधि को देय 7.10 प्रतिशत की दर से की गई है	139.20	9.88
कुल ब्याज			3,804.34	156.49

राज्य विभाग को बजट में आरक्षित निधि व जमा पर ब्याज देनदारी का प्रावधान करना चाहिए।


2.9 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन वांछित धनराशि जुटाने हेतु सरकार के ऋण के प्रबन्धन के लिए एक रणनीति की स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है जो जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं किसी अन्य प्रभुत्व ऋण प्रबन्धन के लक्ष्यों, जिसे सरकार ने अधिनियमित किया हो या वार्षिक बजट के द्वारा घोषणा की हो, को प्राप्त करना है।

2.9.1 सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति

2021-22 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹ 71,375 करोड़ (₹ 77,024 करोड़ -₹ 5,649 करोड़) होता, जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जी एस टी क्षतिपूर्ति के बदले राज्य सरकार को ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत दिये गये बैंक-टु-बैंक ऋण ₹ 5,649 करोड़ को राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान वर्षवार कुल ऋणों को नीचे चार्ट-2.23 में दिखाया गया है।

चार्ट-2.23: सम्पूर्ण ऋणों की प्रवृत्ति



* जी एस टी मुआवजे की कमी के बदले वर्ष 2021-22 एवं 2020-21 तक क्रमशः ₹ 5,649 करोड़ व ₹ 2,316 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण को स रा घ उ से बकाया ऋण के अनुपात की गणना के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण⁵ के अनुसार इस उधार को किसी भी मानदंड, जो कि वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

2.9.2 ऋण संरचना: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋणों में आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखों की देयता शामिल हैं। उत्तराखण्ड के एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य की समेकित निधि एवं राज्य के लोक लेखों के अंतर्गत देनदारियाँ। घटक-वार ऋण प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.44 में दिखाई गई हैं।

तालिका-2.44: घटकवार ऋण प्रवृत्तियाँ

		(₹ करोड़ में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया ऋण		51,831	58,039	65,982	73,751*	77,024*
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	40,286	45,443	49,437	53,302	53,759
	केंद्र सरकार से ऋण	729	790	813	3,813	7,444
लोक लेखा देयताएँ		10,816	11,806	15,732	16,636	15,821
बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशतता)		16.26	11.98	13.69	11.77	4.44
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)		2,20,222	2,30,327	2,36,988	2,34,660	2,53,832
ऋण/स रा घ उ (प्रतिशत)		23.54	25.20	27.84	30.44	28.12
कुल ऋण प्राप्तियाँ		20,124	22,225	22,194	23,327	16,326
कुल ऋण पुनर्भुगतान		12,875	16,017	14,251	15,558	13,053
कुल उपलब्ध ऋण		7,249	6,208	7,943	7,769	3,273
ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)		63.98	72.07	64.21	66.70	79.95

स्रोत: वित्त लेखे।


इसमें जी एस टी मुआवजे की कमी के एवज में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के तक भारत सरकार से प्राप्त ₹ 2,316 एवं ₹ 5,649 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल है। इस ऋण का ऋण शोधन जी एस टी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से किया जाएगा और इसलिए, राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर वर्ष 2021-22 के अंत में राज्य का कुल ऋण (₹ 77,024 करोड़- ₹ 5649 करोड़ = ₹ 71,375 करोड़) था।

⁵ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पत्र संख्या एफ.सं.40 (1) पीएफ-एस/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021।

2.9.3 वर्ष 2021-22 के अंत में कुल बकाया ऋण का घटक-वार विवरण

वर्ष 2021-22 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण ₹ 77,024 करोड़ था। चार्ट-2.24 में ऋण का घटक-वार विवरण दिया है।

चार्ट-2.24: वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में बकाया ऋण का विवरण



आंतरिक ऋण, जोकि मुख्यतः बाजार से लिए गए उधार हैं, कुल बकाया ऋणों का 69.80 प्रतिशत है।

2.9.4 घटक-वार ऋण की प्रवृत्ति

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि में शामिल आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, लोक लेखे के ऋण की प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका-2.45 तथा चार्ट-2.25 में दर्शाई गई हैं।


तालिका-2.45: घटक वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाज़ार उधारियाँ	भारत सरकार से ऋण	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	वित्तीय संस्थानों से ऋण	लघु बचतें/ भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा एवं अग्रिम
2017-18	26,662.29	728.58	9,838.41	3,785.66	7,009.63	461.91	3,344.75
2018-19	31,951.60	789.91	9,427.01	4,064.10	7,899.49	573.45	3,333.70
2019-20	36,451.59	812.87	8,645.99	4,339.10	8,565.28	3,332.06	3,835.28
2020-21	41,660.05	3,813.10	7,864.97	3,776.54	8,996.74	3,421.96	4,217.28
2021-22	43,460.04	7,443.32	6,753.88	3,545.25	9,330.62	2,954.39	3,536.19

चार्ट-2.25: घटक वार ऋण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)




2.9.5 लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

2017-18 से 2021-22 के दौरान आन्तरिक ऋणों को प्राप्त करने और पुनर्भुगतान करने की संरचना चार्ट-2.26 में दी गई है।

चार्ट-2.26: लिए गये आंतरिक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिरूप में एक रचनात्मक बदलाव आया है जैसाकि तालिका-2.46 में दिखाया गया है।

तालिका-2.46: राजकोषीय घाटा के घटक और उसके वित्त पोषण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अ	राजकोषीय घाटे के घटक (1 से 3)	(-) 7,935	(-) 7,320	(-) 7,657	(-) 5,439	(-) 3,736
1.	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष(+)	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 5,914	(-) 6,184	(-) 5,414	(-) 6,538	(-) 7,534
3.	निवल ऋण और अग्रिम	(-) 43	(-) 156	(-) 107	(-) 14	(-) 330
ब	राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण पद्धति					
1.	निवल लोक ऋण	5,806	5,217	4,017	6,865	4,088
अ.	निवल बाजार उधारियाँ	(+) 5,830	(+) 5,289	(+) 4,500	(+) 5,209	(+) 1,800
ब.	भारत सरकार से निवल ऋण	(+) 74	(+) 61	(+) 23	(+) 3,000	(+) 3,630
स.	एन एस एस एफ को जारी निवल विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 374	(-) 411	(-) 781	(-) 781	(-) 1,111
द.	वित्तीय संस्थानों से निवल ऋण ⁶	(+) 276	(+) 278	(+) 275	(-)563	(-) 231
2.	निवल लोक लेखे	2,204	1,843	2,761	302	(-) 525
अ.	निवल लघु बचत, भ नि आदि	(+) 619	(+) 890	(+) 666	(+) 431	(+) 334
ब.	निवल जमा और अग्रिम	(+) 719	(-) 11	(+) 501	(+) 382	(-) 681
स.	निवल उचंत और विविध	(+) 730	(+) 173	(-) 1,164	(-) 595	(+) 278
द.	निवल प्रेषण	(+) 31	(+) 679	(-) 01	(-) 6	(+) 12
ड.	निवल आरक्षित निधि	(+) 105	(+) 112	(+) 2,759	(+) 90	(-) 468
3.	निवल आकस्मिकता निधि	(-) 127	(+) 110	(+) 68	(-) 225	(+) 224
4.	नकद शेष राशि में वृद्धि	(+) 52	(+) 150	(+) 811	(-) 1,503	(-) 51

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार से लिए गए उधार (48 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से ऋण (97 प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था। यह एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (30 प्रतिशत) शुद्ध जमा और अग्रिम (18 प्रतिशत) और शुद्ध आरक्षित निधि (13 प्रतिशत) को जारी विशेष प्रतिभूतियों में गिरावट से प्रतिसंतुलित हुआ। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण चार्ट-2.27 में दिया गया है जबकि तालिका-2.47 राजकोषीय घाटे के घटकों के अन्तर्गत प्राप्ति और संवितरण को दर्शाती हैं।

⁶ निवल अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

चार्ट-2.27: राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण



तालिका-2.47: राजकोषीय घाटे को पूरा करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1.	बाजार उधारियाँ	3,200	1400	1,800
2.	भारत सरकार से ऋण	3,686	56	3,630
3.	एन एस एस एफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	0	1,111	(-) 1,111
4.	वित्तीय संस्थानों से ऋण ⁷	1,032	1,263	(-) 231
5.	लघु बचत, भ नि इत्यादि	1,905	1,571	334
6.	जमा और अग्रिम	5,262	5,943	(-) 681
7.	उंचत और विविध	44,371	44,093	278
8.	प्रेषण	1	-11	12
9.	आरक्षित निधि	1,241	1,709	(-) 468
10.	आकस्मिकता निधि	436	212	224
11.	समग्र घाटा	61,133	57,137	3,787
12.	नकद शेष में वृद्धि/कमी	NA	NA	(-) 51
13.	सकल राजकोषीय घाटा	NA	NA	3,736

2.9.6 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान रूपरेखा राज्य सरकार की ओर से ऋणों के पुनर्भुगतान या ऋण शोधन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। राज्य के लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका-2.48 और चार्ट-2.28 में दी गयी है।


⁷ निवल अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

तालिका-2.48: लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा	धनराशि			लोक ऋण का प्रतिशत
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	योग	
2022-23 तक	0-1 वर्ष	2,531.02	62.71	2,593.73	4.24
2023-24 एवं 2024-25 के बीच	1-3 वर्ष	6,462.03	123.47	6,585.50	10.76
2025-26 एवं 2026-27 के बीच	3-5 वर्ष	10,885.21	101.39	10,986.60	17.95
2027-28 एवं 2028-29 के बीच	5-7 वर्ष	14,312.53	107.59	14,420.12	23.56
2029-30 से आगे	7 वर्ष से ऊपर	16,023.09	418.51	16,441.60	26.86
अन्य		3,545.26	6,629.65	10,174.91	16.63
योग		53,759.14	7,443.32	61,202.46	100

चार्ट-2.28: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा




31 मार्च 2022 को लोक ऋणों की लम्बित पूँजी की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि लम्बित लोक ऋण ₹ 61,202.46 करोड़ में से, 56.51 प्रतिशत (₹ 34,585.95 करोड़) अगले सात वर्षों में भुगतान योग्य हैं जबकि 26.86 प्रतिशत (₹ 16,441.60 करोड़) ऋण सात वर्ष से अधिक के परिपक्वता कोष्ठक में हैं। बकाया 16.63 प्रतिशत की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं है। जिसमें मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों से आंतरिक ऋण (जी आई सी, एल आई सी, एस बी आई, नाबार्ड आदि) ₹ 3,545.26 करोड़ (5.79 प्रतिशत) और जी एस टी क्षतिपूर्ति के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 5,649.03 करोड़ (9.23 प्रतिशत) सम्मिलित है। बाजार से उधार, नाबार्ड से ऋण, एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियों से बने आन्तरिक ऋण, कुल बकाया लोक ऋण का 87.84 प्रतिशत (₹ 53,759.14 करोड़) है। 10 वर्ष की अवधि में बकाया बाजार ऋण राशि तथा उस पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज का विवरण तालिका-2.49 एवं चार्ट-2.29 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.49: ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनर्भुगतान		
	लोक ऋण (बाजार ऋण)	ब्याज	योग
2022-23	1750	3390.69	5140.69
2023-24	2500	3236.88	5736.88
2024-25	2400	2994.48	5394.48
2025-26	3900	2798.87	6698.87
2026-27	5450	2474.33	7924.33
2027-28	6660	2066.37	8726.37
2028-29	6300	1551.48	7851.48
2029-30	5100	1022.53	6122.53
2030-31	6200	654.56	6854.56
2031-32	3200	228.48	3428.48
योग	43460.00	20418.66	63878.66

**बाजार ऋण के अलावा सार्वजनिक ऋण घटकों के संबंध में ब्याज की गणना वित्त लेखे में परिपक्वता प्रोफाइल और ब्याज की दर की अनुपलब्धता को देखते हुए संभव नहीं है।



नोट: 31 मार्च 2022 को बकाया बाजार ऋणों के लिए परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई है और ब्याज उस वित्तीय वर्ष तक के लिए आगणित किया गया है जिसमें ऋण समाप्त होंगे।

राज्य को अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2024-25 तक बाजार ऋणों का ₹ 6,650.00 करोड़ और ब्याज के ₹ 9,622.05 करोड़ का भुगतान करना होगा। अगले दो वर्षों 2026-27 तक, मूलधन ₹ 9,350 करोड़ और ब्याज ₹ 5,273.19 करोड़ देय होगा। ऋण और ब्याज के रूप में अगले पाँच वर्षों के दौरान 2026-27 तक ₹ 6,179.05 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा।

2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान, ₹ 27,460 करोड़ के ऋण और ₹ 5,523.41 करोड़ का ब्याज भुगतान देय होगा। इस प्रकार वर्ष 2027-28 से 2031-32 की अवधि में लगभग ₹ 6,596.68 करोड़ का वार्षिक भुगतान राज्य को करना होगा। ब्याज सहित चालू वर्ष का ऋण पुनर्भुगतान ₹ 4,689.35 करोड़ है।

2.9.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता, वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण पुर्नभुगतान के लिए राज्य की क्षमता को परिभाषित करता है। यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भविष्य को देखते हुये आसान आकलन छूट जाता है। यह एक "ज्ञात अज्ञात पर सूचित न्याय" है। तथापि, लोक ऋण का स्तर जितना उच्च होगा राजकोषीय नीति और लोक ऋण अस्थिर होने की उतनी ही अधिक संभावना है क्योंकि उच्च ऋण को बनाए रखने के लिए उच्च प्राथमिक आधिक्य की आवश्यकता होती है। एक उच्च स्तर का ऋण बहुत सी चुनौतियाँ प्रदान करता है:

- उच्च स्तरीय ऋण के भुगतान हेतु विशाल प्राथमिक राजकोषीय आधिक्य आवश्यक है; आर्थिक और राजनीतिक तौर पर ऐसे आधिक्य को बनाये रखना मुश्किल हो सकता है।
- एक उच्च स्तरीय ऋण, ब्याज दर और विकास में तेजी के प्रति अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता है।
- एक उच्च ऋण स्तर सामान्यतः उच्चतर उधार आवश्यकताओं से सम्बन्धित है और इसलिए सतत संकट (यानि निजी स्रोतों से उधारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होना या केवल उच्च ब्याज दर पर ऐसा करने में समर्थ होना) का खतरा बढ़ जाता है।
- उच्च स्तरीय ऋण आर्थिक विकास के लिये हानिकारक हो सकते हैं, जबकि निम्न विकास अपने आप में चिन्ता का कारण है, और इसका लम्बे समय तक ऋणों की गतिशीलता एवं ऋणों की स्थिरता पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है।

ऋण की अस्थिरता इसके प्रोफाइल से भी सम्बन्धित होती है। मूल परिपक्वता पर अल्प अवधि के ऋण का एक बड़ा हिस्सा, सतत (पुनः वित्तपोषण जोखिम) एवं ब्याज दर के जोखिम को बढ़ाते हैं। लोक ऋण की स्थिरता सुनिश्चित करती है कि विस्फोटक स्थिति न बने और सरकारें कर बढ़ाने या व्यय घटाने के लिए बाध्य न हों।

2.9.8 ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्ति

2017-18 की शुरुआत से पाँच वर्षों की अवधि में राज्य की ऋण स्थिरता को निम्न संकेतकों के द्वारा तालिका-2.50 एवं चार्ट-2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.50: ऋण स्थिरता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता के संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण	41,015	46,233	50,250	57,115**	61,202**
बकाया लोक ऋण की वृद्धि की दर	16.49	12.72	8.69	13.66	7.16
राज्य का स रा घ उ	2,20,222	2,30,327	2,36,988	2,34,660	2,53,832
स रा घ उ की वृद्धि दर	12.86	4.59	2.89	-0.98	8.17
ऋण/स रा घ उ अनुपात	18.62	20.07	21.20	24.34	24.11


ऋण स्थिरता के संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.97	8.78	7.81	7.48	7.09
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	12.61	12.27	12.27	10.52	9.74
ऋण पुनर्भुगतान की ऋण प्राप्तियों से प्रतिशतता [#]	22.87	28.27	34.66	29.85	45.30
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण*	2388	1388	247	2848	-106
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत में उपलब्ध निवल ऋण	31.73	19.08	4.02	29.10	-1.42
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम प्रसार + प्राथमिक घाटा)	1,55,683	-1,96,628	-2,50,284	-4,83,993	67,308
कुल उधार पर ऋण और उसके ऊपर ब्याज के पुनर्भुगतान की प्रतिशतता	68.27	80.92	95.98	70.90	101.42

* राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान, लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर, लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

** इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले वर्ष 2021-22 और 2020-21 तक क्रमशः भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,649 करोड़ और ₹ 2,316 करोड़ का बैंक लोन शामिल है। इस ऋण का ऋण शोधन जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से किया जाएगा और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व को राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, वर्ष 2021-22 के अंत में राज्य का समग्र ऋण ₹ 55,553 करोड़ (₹ 61,202 करोड़ - ₹ 5,649 करोड़) था।

अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर

चार्ट-2.30 ऋण स्थिरता सूचकों की प्रवृत्तियाँ



#अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर।

जैसाकि तालिका-2.50 से देखा जा सकता है पाँच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान उत्तराखण्ड के स रा घ उ से लोक ऋणों का अनुपात 18.62 से 24.34 प्रतिशत के बीच रहा। चालू वर्ष के दौरान स रा घ उ से लोक ऋणों का अनुपात 24.11 प्रतिशत, बजट में निर्धारित लक्ष्य 24.12 प्रतिशत से कम था। ब्याज भुगतान का बोझ राजस्व प्राप्तियों के 9.74 प्रतिशत से 12.61 प्रतिशत के मध्य था।

तथापि, 2017-18 से 2021-22 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान जहां स रा घ उ का विकास चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) 5.40 प्रतिशत की दर से हुआ वहीं लम्बित लोक ऋण 11.69 प्रतिशत की ज्यादा तेज दर से बढ़ा।

2.9.9 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप में पूँजीगत रचना तथा विकास की गतिविधियों पर किया जाना चाहिये। उधार ली गई निधियों का उपयोग चालू उपभोग एवं बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी हेतु धारणीय नहीं है। विगत पाँच वर्षों में उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका-2.51 एवं चार्ट-2.31 में नीचे दिखाई गई है।


तालिका-2.51: उधार ली गई धनराशि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व उधारियों की अदायगी (प्रतिशतता)	निवल पूँजीगत व्यय* (प्रतिशतता)	आहरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशतता)	कुल उधारियों में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता)
2017-18	7,526	1,721 (23)	5,805 (77)	ला न	ला न
2018-19	7,275	2,057 (28)	5,218 (72)	ला न	ला न
2019-20	5,834	2,131 (37)	3,703 (63)	ला न	ला न
2020-21	9,787	2,921 (30)	6,538 (67)	38 (0.39)	ला न ⁸
2021-22	7,473	3,385 (45)	4,088 (55)	ला न	ला न

निवल पूँजीगत व्यय = कुल पूँजीगत व्यय - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ। ला न - लागू नहीं।

चार्ट-2.31: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति



2017-22 की अवधि में राज्य ने पूर्व के मूलधन के पुनर्भुगतान और पूँजीगत व्यय के लिए उधार का उपयोग किया।

2.10 प्रतिभूति की स्थिति - प्रासंगिक दायित्व

संविधिक निगम, सरकारी कंपनियाँ, सहकारी संस्थाएं, वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण विशिष्ट वैधानिक इकाईयाँ हैं जो उनके ऋणों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके वित्तीय दायित्वों की प्रतिभूति

⁸ उधार से कोई राजस्व व्यय पूरा नहीं किया गया क्योंकि राज्य के पास 2020-21 के दौरान राजस्व अधिशेष था।

सरकार द्वारा दी जा सकती है और इस प्रकार सरकार की यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि इन्हें पूरा किया जाए। जब ये संस्थाएं सीधे बाजार से उधार लेती हैं, तो यह उनको दिये जाने वाले सरकार के बजटीय सहायता और सरकार के उधारों की मात्रा को कम कर देती है। हालाँकि, यह सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के स्तर को बढ़ाता है। इस प्रकार, प्रतिभूतियां आमतौर पर सरकार की प्रासंगिक देनदारियों का गठन करती हैं और उधारकर्ता, जिसके लिए प्रतिभूति दी गई है, द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर भारित होती हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में उल्लेखित है कि राज्य सरकार किसी भी नियम कानून के अन्तर्गत तय सीमा से अधिक किसी भी धनराशि पर मौजूदा नियमों के तहत प्रतिभूति प्रदान नहीं करेगी। तथापि, राज्य विधानसभा (संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत अधिकतम सीमा निर्धारित करता है, जिसके अन्तर्गत राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर प्रतिभूति दे सकती है) ने संबन्धित प्रावधान को संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में दिसम्बर 2016 में ही लागू कर दिया था।


वित्त लेखे के विवरण-9 के अनुसार तालिका-2.52 एवं चार्ट-2.32 में राज्य द्वारा अधिकतम राशि जिस पर प्रतिभूति दी गई और विगत पाँच वर्षों की लम्बित प्रतिभूति का विवरण दिया गया है।

तालिका-2.52: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रतिभूतियां	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
31 मार्च को प्रतिभूतियों की बकाया राशि	1,499	893	854	717	374
राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा	किसी वर्ष के स रा घ उ के एक प्रतिशत के भीतर बकाया प्रतिभूति होनी चाहिए। किसी भी वर्ष के दौरान दी गई नई प्रतिभूति उस वर्ष के लिए स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	295	251	निरंक	402	418
वर्ष के दौरान हटायी गई	790	75	188	713	761

चार्ट-2.32: लंबित प्रतिभूतियों की स्थिति




स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2022 को लम्बित प्रतिभूतियों की धनराशि ₹ 374 करोड़ थी, जिसमें उर्जा क्षेत्र (₹ 122 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 249 करोड़) तथा अन्य (₹ 3 करोड़) शामिल हैं। 31 मार्च 2022 को कुल लम्बित प्रतिभूतियां ₹ 374 करोड़ थीं जो कि वर्ष के स रा घ उ की 0.15 प्रतिशत हैं और इसलिए ये एफ आर बी एम की सीमा के अन्दर थीं। चार्ट-2.33 में कम्पनी वार विवरण दिया गया है।

चार्ट-2.33: 31 मार्च 2022 के अंत में प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने वाले निकाय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति मांगी नहीं गई थी। प्रतिभूति की अधिकतम धनराशि के बारे में सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गई, और इसलिए विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है। इन विवरणों में भा स ले मा-1 की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतः नहीं हुई है। राज्य सरकार ने गारंटी कमीशन के रूप में प्राप्त ₹ 1.87 करोड़ की धनराशि प्रतिभूति मोचन निधि के बजाय राजस्व प्राप्तियों के तहत जमा की जबकि "उत्तराखण्ड गारंटी पर सिलिंग अधिनियम 2016" की आवश्यकतानुसार प्रतिभूति कमीशन को निधि कोष में प्राप्त करना चाहिए।

2.11 नकद बकाये का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रतिदिन बैंक में एक न्यूनतम नकद राशि रखनी होगी। अगर किसी दिन बकाया, तय न्यूनतम से कम रहता है तो इसकी कमी को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस डब्ल्यू एम ए)/ओवर ड्राफ्ट (ओ डी) के द्वारा समय-समय पर पूरा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए समझौते के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम नकद बकाया प्रतिदिन बैंक में रखना होगा। 01 अप्रैल 2021 से सामान्य डब्ल्यू एम ए के लिए राज्य सरकार की सीमा ₹ 808 करोड़ है और बैंक द्वारा एस डब्ल्यू एम ए की सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है। 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने बिना किसी अग्रिम के 359 दिनों तक न्यूनतम प्रतिदिन नकद बकाया बैंक में रखा था और वर्ष के दौरान सामान्य डब्ल्यू एम ए तथा एस डब्ल्यू एम ए का उपयोग क्रमशः दो दिन एवं चार दिन के लिए किया गया था।

2.11.1 नकद बकाये का निवेश

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद बकाया और उसमें से किया गया निवेश तालिका-2.53 में दिया गया है।

तालिका-2.53: नकद बकाया और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष
अ. सामान्य नकद बकाया		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	167.30	112.47
अन्य बैंकों में जमा	0.00	0.00
पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	0.00	0.00
योग	167.30	112.47
नकद बकाया निवेश लेखे में निवेश	1,931.57	2,037.62
योग (अ)	2,098.87	2,150.09
ब. अन्य नकद बकाया और निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद, जैसे लो नि वि, वन अधिकारी	(-) 10.71	(-) 10.71
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	(-) 0.81	(-) 0.81
निर्धारित निधि में निवेश	1,488.62	1,698.62
योग (ब)	1,477.10	1,687.10
योग (अ + ब)	3,575.97	3,837.19
अर्जित ब्याज	32.01	34.23

स्रोत: वित्त लेखे।

चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का नकद बकाया 2020-21 में ₹ 3,575.97 करोड़ से ₹ 261 करोड़ (7 प्रतिशत) बढ़कर 2021-22 में ₹ 3,837.19 करोड़ हो गया। यह मुख्यतः नकद शेष निवेश खाते में निवेश (₹ 106 करोड़) और निर्धारित निधि में निवेश (₹ 210 करोड़) में वृद्धि के कारण था, जो रिजर्व बैंक के पास जमा राशि (₹ 55 करोड़) में कमी से प्रतिसंतुलित हुआ था।

राज्य सरकार अपने आधिक्य नकद बकाये को भारत सरकार की लघु एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को शीर्ष "0049-ब्याज प्राप्तियाँ" में प्राप्त के अन्तर्गत क्रेडिट किया जाता है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश से राज्य सरकार ने 2021-22 के दौरान ₹ 34.23 करोड़ ब्याज अर्जित किया।

निर्धारित निधियों में वर्ष के अन्त में निवेशित कुल धनराशि ₹ 1,698.62 करोड़ में से, ₹ 1,603.62 करोड़ समेकित सिंकिंग निधि तथा ₹ 95 करोड़ प्रतिभूति मोचन निधि में निवेशित थे।

2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेशों को तालिका-2.54 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.54: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारम्भिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी (-)	अर्जित ब्याज
2017-18	451.51	385.49	(-) 66.02	14.05
2018-19	385.49	247.48	(-) 138.01	10.49
2019-20	247.48	00	(-) 247.48	21.73
2020-21	00	1,931.57	(+) 1,931.57	32.01
2021-22	1,931.57	2,037.62	(+) 106.05	34.23

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि 2017-18 से 2019-20 तक निवेश में क्रमशः कमी उपरान्त 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान निवेश में वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान, मुख्य शीर्ष नकद शेष निवेश खाते के अंतर्गत ₹ 2,037.62 करोड़ रुपये की राशि शेष पड़ी थी।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार बड़े नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा ले और इसे उत्पादक उपयोग में लाये बिना नकद शेष में वृद्धि करे।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिये गये बाजार ऋण और उपलब्ध औसत नकद शेष के बीच तुलना चार्ट-2.34 में दर्शायी गई है। बाजार ऋण उच्च ब्याज दर पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश से ब्याज कम दर पर मिला।


चार्ट-2.34: बाजार ऋण के सापेक्ष औसत नकद शेष



चार्ट-2.35 में वर्ष 2021-22 के दौरान माहवार नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष के बीच तुलना दर्शायी गई है।

चार्ट-2.35: 2021-22 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा और नकद शेष की माहवार गति

(₹ करोड़ में)



पूर्ववर्ती चार्ट इंगित करता है कि राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान नकद शेष होने के बावजूद उसका उत्पादक उपयोग किये बिना दो बार (जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022) बाजार ऋणों का सहारा लिया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 3,200 करोड़ बाजार से उठाये।

2.12 निष्कर्ष

- 2021-22 के दौरान, गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4,852 करोड़ (12.70 प्रतिशत) की वृद्धि, सहायता अनुदान (₹ 692 करोड़), स्वयं का कर राजस्व (₹ 2,238 करोड़) एवं संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 3,337 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। वृद्धि आंशिक तौर पर करेत्तर राजस्व में कमी (₹ 1,415 करोड़) से प्रतिसंतुलित हुई।
- 2017-22 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 84.02 प्रतिशत (वर्ष 2017-22 के दौरान 82.92 प्रतिशत से 85.57 प्रतिशत के बीच) था। 2017-22 की पाँच वर्ष अवधि के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर ने उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रस्तुत की। वचनबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 61 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच था जबकि पाँच वर्ष की अवधि 2017-22 के दौरान, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 55 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच लेखांकित किया गया।
- चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 996 करोड़ (15.23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय एम टी एफ पी एस लक्ष्यों

- (₹ 7,112 करोड़) के अनुमानों से ₹ 422 करोड़ अधिक तथा बजट अनुमानों (₹ 8,973 करोड़) से ₹ 1,439 करोड़ कम था।
- सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था। चालू वर्ष के दौरान, बकाया ऋणों के सापेक्ष वसूल की गयी राशि ₹ 17.08 करोड़ थी, जो 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋणों (₹ 2,047.91 करोड़) का 0.83 प्रतिशत थी।
 - 2021-22 के दौरान, राज्य में कुल व्यय के अनुपात में शिक्षा क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में व्यय उ पू एवं हिमालयी राज्यों के औसत से अधिक था जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत 2021-22 के दौरान यह उ पू एवं हिमालयी राज्यों के औसत से कम था।
 - वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2022 को लोक निर्माण के विभिन्न प्रभागों में ₹ 509.66 करोड़ की 75 अपूर्ण/ चालू परियोजनाएँ थीं। इन 75 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएँ (अनुमानित लागत ₹ 344.33 करोड़) अपने पूर्ण होने के लक्ष्य से दो से तीन साल विलम्ब से चल रही थी जबकि 51 परियोजनाएँ (अनुमानित लागत ₹ 165.33 करोड़) जो कि 31 मार्च 2022 तक पूर्ण होनी थी, वर्तमान तक अपूर्ण थीं।
 - ₹ 7.17 करोड़ प्राप्त होने वाली गारंटी कमीशन फीस के सापेक्ष, ₹ 1.87 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप ₹ 5.30 करोड़ की गारंटी कमीशन फीस कम प्राप्त हुई। प्राप्त हुई गारंटी फीस को गारंटी मोचन निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा करना था जबकि राज्य सरकार इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्ज कर रही थी। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व अधिशेष अधिक दर्शाया गया था।
 - पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में स रा घ उ से कुल राजकोषीय दायित्वों के अनुपात में 2.32 प्रतिशत की कमी हुई और यह 28.12 प्रतिशत पर रहा, जो कि राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन के 25 प्रतिशत लक्ष्य से अधिक था।

2.13 संस्तुतियाँ

- *राज्य सरकार को अपने स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि हेतु और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सरकार को लंबित कर दावों को समय पर निपटान, करों के आकलन में बकाया का निपटान एवं राजस्व के बकाया की वसूली तथा बेहतर संसाधन जुटाने के लिए करेक्टर राजस्व में सुधार करना चाहिए;*
- *राज्य सरकार, इसके द्वारा ली गई उधारियों की अत्यधिक उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है;*

- क्योंकि सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये ऋणों की वसूली संतोषजनक नहीं है, अतः राज्य सरकार ऋणों और अग्रिमों को अनुदान के रूप में लेखांकित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखे सही स्थिति दर्शाते हैं, उन्हें राजस्व व्यय के तौर पर दर्ज करने हेतु विचार कर सकती है;
- राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन बढ़ा सकती है ताकि इसे उ पू एवं हिमालयी राज्यों की औसत के बराबर लाया जा सके;
- राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित कर सकती है तथा यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि आगे कोई लागत वृद्धि न हो;
- राज्य सरकार गारंटी कमीशन शुल्क की वसूली सुनिश्चित कर सकती है और इसे गारंटी मोचन निधि में जमा कर सकती है; तथा
- राज्य सरकार बजट में ब्याज सहित आरक्षित निधि और जमाओं के सापेक्ष ब्याज देयताओं का प्रावधान करना सुनिश्चित कर सकती है।